



अनिवार्य प्रकटीकरण

२०२५ – २०२६

(भाग – क)

संगठन एवं कार्यप्रणाली



राजीव गांधी विश्वविद्यालय
(केंद्रीय विश्वविद्यालय)

रोनो हिल्स, दोईमुख
अरुणाचल प्रदेश-७९१११२

संगठन एवं कार्यप्रणाली

1.1. इसके संगठन, कार्यों एवं कर्तव्यों का विवरण [धारा 4(1)(ख)(i)]

1.1.1. संगठन का नाम एवं पता

राजीव गांधी विश्वविद्यालय

रोनो हिल्स, दोईमुख, अरुणाचल प्रदेश, भारत – ७९१ ११२

राजीव गांधी विश्वविद्यालय (पूर्व में अरुणाचल विश्वविद्यालय), अरुणाचल प्रदेश में उच्च शिक्षा का एक प्रमुख संस्थान है, जिसने अपने अस्तित्व के इकतालीस (४१) वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने ४ फ़रवरी, १९८४ को विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी। इसके पश्चात शैक्षणिक सत्र १९८८-८९ से रमणीय एवं विस्तृत रोनो हिल्स परिसर में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का संचालन प्रारम्भ किया गया।

भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक ९ अप्रैल, २००७ के माध्यम से विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। विश्वविद्यालय ३०२ एकड़ क्षेत्रफल में फैले सुंदर रोनो हिल्स के पठारी भूभाग पर स्थित है, जहाँ से डिक्रोंग (पारे) नदी का मनोहारी दृश्य दिखाई देता है।

विश्वविद्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग-४१५ से लगभग ६.५ किलोमीटर तथा राज्य की राजधानी ईटानगर से लगभग २५ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। परिसर डिक्रोंग (पारे) पुल के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ है।

राजीव गांधी विश्वविद्यालय तक पहुँचने का मार्ग

क. सड़क मार्ग द्वारा: गुवाहाटी से ईटानगर

- i. नियमित राज्य सरकार द्वारा संचालित बस सेवाएँ उपलब्ध हैं।
- ii. निजी ट्रेवल एजेंसियों द्वारा संचालित नियमित बस सेवाएँ उपलब्ध हैं।
- iii. निजी टैक्सी सेवाएँ भी उपलब्ध हैं।

ख. रेल मार्ग द्वारा:

निकटतम रेलवे स्टेशन गुमटो में स्थित है, जो विश्वविद्यालय से लगभग १० मिनट की ड्राइव दूरी पर है। इसके अतिरिक्त नाहरलगुन रेलवे स्टेशन विश्वविद्यालय से लगभग ३० मिनट की दूरी पर स्थित है।

ग. वायु मार्ग द्वारा:

निकटतम हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डा (HGI), होलोंगी, ईटानगर है, जो राजीव गांधी विश्वविद्यालय, दोईमुख से लगभग ३० किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह दूरी लगभग १ घंटा ३० मिनट में सड़क मार्ग द्वारा तय की जा सकती है। होलोंगी से विश्वविद्यालय तक सड़क मार्ग से पहुँचना पड़ता है।

इसके अतिरिक्त, गुवाहाटी से ईटानगर के लिए पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवाएँ भी उपलब्ध हैं।

<https://rgu.ac.in/reach-rgu>
<https://rgu.ac.in/contact-us>

1.1.1. संगठन का इतिहास

राजीव गांधी विश्वविद्यालय (पूर्व में अरुणाचल विश्वविद्यालय) अरुणाचल प्रदेश राज्य में उच्च शिक्षा का प्रमुख संस्थान है और अपने अस्तित्व के इकतालीस (४९) वर्ष पूर्ण कर चुका है। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने ४ फ़रवरी, १९८४ को रोनी हिल्स में विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी, जहाँ वर्तमान में विश्वविद्यालय का परिसर स्थित है।

स्थापना के समय से ही विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अधिनियम में परिकल्पित उद्देश्यों की पूर्ति तथा शैक्षणिक उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहा है। विश्वविद्यालय को २८ मार्च, १९८५ को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा धारा 2(एफ) के अंतर्गत शैक्षणिक मान्यता प्राप्त हुई तथा इसने १ अप्रैल, १९८५ से अपना कार्य प्रारम्भ किया।

इसके पश्चात विश्वविद्यालय को २५ मार्च, १९९४ को यूजीसी की धारा 12-बी के अंतर्गत वित्तीय मान्यता प्राप्त हुई। इसके बाद राजीव गांधी विश्वविद्यालय (तत्कालीन अरुणाचल विश्वविद्यालय) ने देश के शैक्षिक परिदृश्य में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति द्वारा इसे भारत के विश्वविद्यालयों में से "उत्कृष्टता की क्षमता वाले विश्वविद्यालय" (**University with Potential for Excellence**) के रूप में चयनित किया गया।

भारत सरकार के तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार ९ अप्रैल, २००७ को विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। तब से यह विश्वविद्यालय शिक्षा, अनुसंधान तथा ज्ञान-सृजन के क्षेत्र में निरंतर प्रगति करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिष्ठा को सुदृढ़ कर रहा है।

<https://rgu.ac.in/rgu-profile>
<https://rgu.ac.in/uploads/rgu-at-a-glance/rgu-at-a-glance-1757921288.pdf>

1.1.2. संगठन के बारे में

राजीव गांधी विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (**NAAC**) द्वारा उच्च ग्रेड प्राप्त हुआ है और यह राज्य तथा पड़ोसी क्षेत्रों के विद्यार्थियों के बीच शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए सर्वाधिक पसंद किए जाने वाले परिसरों में से एक है। राजीव गांधी विश्वविद्यालय "चॉइस बेस्ट क्रेडिट सिस्टम" (**CBCS**) को लागू करने वाले अग्रणी विश्वविद्यालयों में से एक है। यह प्रणाली विद्यार्थियों को अपने विभाग के अंतर्गत विशिष्ट विषयों एवं पाठ्यक्रमों का चयन करने की सुविधा प्रदान करती है। विश्वविद्यालय में वर्तमान में १३ संकाय, ४२ विभाग तथा ३ संस्थान कार्यरत हैं, जो स्नातक (**UG**), स्नातकोत्तर (**PG**), स्नातकोत्तर डिप्लोमा, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र तथा शोध (पीएच.डी.) कार्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या भी उल्लेखनीय है। अपनी सामरिक भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन विभाग के अंतर्गत रक्षा एवं सामरिक अध्ययन (**Defence and Strategic Studies**) में एम.ए. कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। वर्तमान में विश्वविद्यालय में यूजीसी, डीएसटी, सीएसआईआर तथा डीबीटी जैसी विभिन्न राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा वित्तपोषित अनेक अनुसंधान परियोजनाएँ संचालित की जा रही हैं, जिनमें **SAP** एवं **FIST** परियोजनाएँ प्रमुख हैं। राजीव गांधी विश्वविद्यालय का दूरस्थ शिक्षा निदेशालय (**Directorate of Distance Education**) समाज के विभिन्न वर्गों के शिक्षार्थियों तक उच्च शिक्षा पहुँचाने तथा शिक्षा की बढ़ती मांग और उपलब्धता के मध्य अंतर को कम करने के उद्देश्य से कार्य कर रहा है। वर्तमान में ४७ महाविद्यालय एवं संस्थान राजीव गांधी

विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं, जहाँ कला, वाणिज्य, विज्ञान, शिक्षा, विधि, चिकित्सा विज्ञान, नर्सिंग तथा होम्योपैथी जैसे विषयों में विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। ये पाठ्यक्रम अरुणाचल प्रदेश राज्य के शैक्षिक एवं सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सहयोग, उच्च अध्ययन एवं संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अनेक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें जापान का RIHN, क्योटो, अमेरिका का यूनिवर्सिटी ऑफ़ मिसौरी, कोलंबिया तथा यूनिवर्सिटी ऑफ़ साउथ फ्लोरिडा, ईरान का सेमनान विश्वविद्यालय, इमू (नई दिल्ली), माकाइस (कोलकाता), शोधगंगा (INFLIBNET), भारतीय उद्यमिता संस्थान (गुवाहाटी), राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद (हैदराबाद), इंस्टीट्यूट ऑफ़ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ़ इंडिया (गुवाहाटी), नेरिस्ट (निर्जुली), एसपीए भोपाल, आरजीएनआईआईडी चेन्नई, केंद्रीय विश्वविद्यालय गुजरात, केआईआईटी भुवनेश्वर, तेजपुर विश्वविद्यालय, जीकेएफ हैदराबाद, भारत सरकार का युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, अरुणाचल प्रदेश सरकार का अनुसंधान निदेशालय, जी.बी. पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान, उत्तराखंड, डीआरएल, तेजपुर, फ्रेग्रेस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर (कन्नौज), राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान (निपटेम), सोनीपत, तथा वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर सहित अनेक अन्य संस्थान सम्मिलित हैं। इन सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से विश्वविद्यालय राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान, नवाचार तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा को निरंतर सुदृढ़ कर रहा है।

<https://rgu.ac.in/rgu-profile>

<https://rgu.ac.in/uploads/rgu-at-a-glance/rgu-at-a-glance-1757921288.pdf>

1.1.3. दृष्टि

राजीव गांधी विश्वविद्यालय भारत का सर्वाधिक सजीव, ऊर्जावान, उत्तरदायी एवं प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय बनने की आकांक्षा रखता है, जिसे शिक्षण, अनुसंधान तथा सभी समुदायों के शिक्षार्थियों को उच्चतम गुणवत्ता के शैक्षिक अवसर प्रदान करने में उत्कृष्टता के लिए मान्यता प्राप्त हो।

विश्वविद्यालय का उद्देश्य अपने विद्यार्थियों एवं प्रतिभाओं के बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करते हुए उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण निर्माण करना है, ताकि वे बहु-कौशल युक्त, सामाजिक रूप से उत्तरदायी, सृजनशील, अनुकूलनशील, योगदानकारी तथा नैतिक मूल्यों से युक्त वैश्विक नागरिक बनकर मानवता की सेवा कर सकें।

<https://rgu.ac.in/rgu-profile>

1.1.4. मिशन

हमारा मिशन विविध सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से आने वाले विद्यार्थियों को अवसर एवं सहयोग प्रदान करना है तथा बहुआयामी शिक्षा और स्थानीय, राष्ट्रीय एवं वैश्विक समुदायों के साथ सतत सहभागिता के माध्यम से उनकी बौद्धिक, नैतिक, नागरिक एवं सृजनात्मक क्षमताओं का पूर्ण विकास कर उन्हें जागरूक एवं उत्तरदायी वैश्विक नागरिक बनाना है।

विश्वविद्यालय का उद्देश्य छात्र-शिक्षक की सक्रिय एवं गतिशील सहभागिता के माध्यम से शैक्षणिक उत्कृष्टता प्राप्त करना भी है। साथ ही, विद्यार्थियों में उच्च नैतिक, आचारिक एवं व्यावसायिक मानकों का विकास करना है, जिससे वे अपने व्यावसायिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक ज्ञान एवं कौशल अर्जित कर सकें, अपने कार्य-निष्पादन में उत्कृष्टता प्राप्त करें तथा समाज के प्रति नेतृत्व एवं सेवा की भावना के साथ योगदान दे सकें।

<https://rgu.ac.in/rgu-profile>

1.1.5. प्रमुख उद्देश्य (राजीव गांधी विश्वविद्यालय अधिनियम, २००६ की धारा ५ के अनुसार)

विश्वविद्यालय के उद्देश्य ज्ञान का प्रसार एवं संवर्धन करना है, जिसके लिए विभिन्न शिक्षण एवं अनुसंधान सुविधाएँ उन अध्ययन क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जाएँगी जिन्हें विश्वविद्यालय उपयुक्त समझे। विश्वविद्यालय अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों में मानविकी, प्राकृतिक एवं भौतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, वानिकी तथा अन्य संबद्ध विषयों में एकीकृत पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करेगा।

विश्वविद्यालय शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में नवाचार, अंतर्विषयी अध्ययन तथा अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त उपाय करेगा। साथ ही, अरुणाचल प्रदेश राज्य के विकास हेतु आवश्यक मानव संसाधन के शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा।

इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय राज्य के लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में सुधार, उनके कल्याण, तथा उनके बौद्धिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष ध्यान देगा।

<https://rgu.ac.in/uploads/act-ordinance/files/17579214682ePPZcG3Xan.pdf>
<https://rgu.ac.in/acts-ordinances>
<https://rgu.ac.in/important-documents>

1.1.6. विश्वविद्यालय की शक्तियाँ एवं कर्तव्य (राजीव गांधी विश्वविद्यालय अधिनियम, २००६ की धारा ६ के अनुसार)

(i) विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित अध्ययन की विभिन्न शाखाओं में शिक्षण की व्यवस्था करना तथा अनुसंधान, ज्ञान के संवर्धन एवं प्रसार के लिए प्रावधान करना।

(ii) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन परीक्षाओं, मूल्यांकन अथवा किसी अन्य परीक्षण पद्धति के आधार पर व्यक्तियों को डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र, उपाधियाँ तथा अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएँ प्रदान करना तथा उचित एवं पर्याप्त कारण होने पर उन्हें वापस लेना।

(iii) विश्वविद्यालय से बाहर संचालित अध्ययन कार्यक्रमों (**Extramural Studies**), प्रशिक्षण एवं विस्तार सेवाओं का आयोजन एवं संचालन करना।

(iv) अधिनियमों (**Statutes**) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मानद उपाधियाँ (**Honorary Degrees**) एवं अन्य विशिष्टताएँ प्रदान करना।

(v) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित व्यक्तियों को दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शैक्षणिक सुविधाएँ प्रदान करना।

(vi) विश्वविद्यालय की आवश्यकता के अनुसार प्राचार्य, प्रोफेसर, रीडर, व्याख्याता तथा अन्य शिक्षण एवं शैक्षणिक पदों का सृजन करना तथा उन पदों पर नियुक्तियाँ करना।

(vii) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उद्देश्यों हेतु उच्च शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान करना तथा आवश्यकता पड़ने पर ऐसी मान्यता वापस लेना।

(viii) विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों अथवा संस्थानों में शिक्षण कार्य करने वाले व्यक्तियों को मान्यता प्रदान करना।

(ix) अन्य विश्वविद्यालयों अथवा शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत व्यक्तियों को निश्चित अवधि के लिए विश्वविद्यालय के शिक्षक के रूप में नियुक्त करना।

(x) प्रशासनिक, लिपिकीय तथा अन्य पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियाँ करना।

(xi) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के लिए अन्य विश्वविद्यालयों, प्राधिकरणों अथवा उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ सहयोग, सहभागिता अथवा संबद्धता स्थापित करना।

(xii) केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक अनुसंधान केंद्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं अथवा अन्य इकाइयों की स्थापना करना।

(xiii) कैलोशिप, छात्रवृत्तियाँ, विद्यार्थीवृत्तियाँ, पदक एवं पुरस्कार स्थापित करना तथा प्रदान करना।

(xiv) महाविद्यालयों, संस्थानों एवं छात्रावासों (Halls) की स्थापना एवं रखरखाव करना।

(xv) अनुसंधान एवं परामर्श सेवाओं की व्यवस्था करना तथा इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य संस्थानों, उद्योगों अथवा संगठनों के साथ आवश्यक समझौते करना।

(xvi) शिक्षकों, परीक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (Refresher Courses), कार्यशालाएँ, संगोष्ठियाँ एवं अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करना।

(xvii) अरुणाचल प्रदेश राज्य के भीतर स्थित उन महाविद्यालयों एवं संस्थानों को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्रदान करना जो विश्वविद्यालय द्वारा संचालित नहीं हैं; अधिनियमों में निर्धारित शर्तों के अनुसार उन विशेषाधिकारों को वापस लेना; तथा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित नहीं किए जाने वाले छात्रावासों एवं अन्य छात्र आवासों को मान्यता, मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण प्रदान करना तथा आवश्यकता पड़ने पर ऐसी मान्यता वापस लेना।

(xviii) अनुबंध के आधार पर अथवा अन्यथा आगंतुक प्रोफेसर (Visiting Professor), एमेरिटस प्रोफेसर, सलाहकार, विद्वान एवं अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की उन्नति में योगदान दे सकें।

(xix) अधिनियमों के अनुसार किसी महाविद्यालय, संस्थान अथवा विभाग को स्वायत्त (Autonomous) दर्जा प्रदान करना।

(xx) विश्वविद्यालय में प्रवेश के मानकों का निर्धारण करना, जिसमें परीक्षा, मूल्यांकन अथवा किसी अन्य परीक्षण पद्धति को सम्मिलित किया जा सकता है।

(xxi) शुल्क एवं अन्य प्रभारों की मांग करना तथा उन्हें प्राप्त करना।

(xxii) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के आवासीय जीवन का पर्यवेक्षण करना तथा उनके स्वास्थ्य एवं सामान्य कल्याण के संवर्धन हेतु आवश्यक व्यवस्थाएँ करना।

(xxiii) सभी श्रेणियों के कर्मचारियों की सेवा शर्तों एवं आचरण संहिता का निर्धारण करना।

(xxiv) विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों के मध्य अनुशासन बनाए रखना तथा आवश्यक अनुशासनात्मक उपाय लागू करना।

(xxv) कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएँ करना।

(xxvi) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दान, अनुदान एवं उपहार स्वीकार करना तथा केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से न्यास (Trust) एवं बंदोबस्ती (Endowment) सहित चल एवं अचल संपत्तियों का अधिग्रहण, स्वामित्व, प्रबंधन एवं निपटान करना।

(xxvii) केंद्रीय सरकार की स्वीकृति से विश्वविद्यालय की संपत्ति को सुरक्षा के रूप में रखकर विश्वविद्यालय के उद्देश्यों हेतु ऋण प्राप्त करना।

(xxviii) विश्वविद्यालय के सभी अथवा किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आवश्यक, सहायक अथवा अनुकूल अन्य सभी कार्य एवं गतिविधियाँ संपादित करना।

विश्वविद्यालय के कार्य एवं कर्तव्य राजीव गांधी विश्वविद्यालय अधिनियम, २००६ तथा विश्वविद्यालय के अधिनियमों (Statutes) एवं अध्यादेशों (Ordinances) में निर्दिष्ट हैं। विश्वविद्यालय अधिनियम, अधिनियमों (Statutes) एवं अध्यादेशों (Ordinances) की प्रतियाँ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक के अंतर्गत उपलब्ध हैं:

<https://rgu.ac.in/uploads/act-ordinance/files/17579214680oMllcheajK.pdf>
<https://rgu.ac.in/acts-ordinances>

अधिनियम (Statutes) एवं अध्यादेश (Ordinances) निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:

<https://rgu.ac.in/important-documents>

1.1.7. अधिकार-क्षेत्र (राजीव गांधी विश्वविद्यालय अधिनियम, २००६ की धारा ७ के अनुसार)

राजीव गांधी विश्वविद्यालय का अधिकार-क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश राज्य के संपूर्ण क्षेत्र तक विस्तृत होगा।

वर्तमान में प्रभावी किसी अन्य विधि में निहित किसी भी प्रावधान के बावजूद, अरुणाचल प्रदेश राज्य के भीतर स्थित कोई भी शैक्षणिक संस्थान भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य विश्वविद्यालय से किसी भी प्रकार से संबद्ध नहीं होगा तथा न ही उसे उस विश्वविद्यालय के किसी विशेषाधिकार का लाभ प्राप्त होगा।

इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम (राजीव गांधी विश्वविद्यालय अधिनियम, २००६) के प्रारम्भ होने से पूर्व यदि अरुणाचल प्रदेश राज्य के किसी शैक्षणिक संस्थान को किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा कोई विशेषाधिकार प्रदान किया गया हो, तो इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से ऐसे सभी विशेषाधिकार स्वतः निरस्त (वापस लिए हुए) माने जाएँगे।


<https://rgu.ac.in/uploads/act-ordinance/files/17579214680oMllcheajK.pdf>

1.1.8. मूल मूल्य

विश्वविद्यालय निम्नलिखित मूल्यों से प्रेरित एवं प्रतिबद्ध है—

- (i) नवाचार एवं प्रगतिशीलता के साथ सतत शिक्षण एवं अधिगम।
- (ii) समावेशी मानव विकास एवं उन्नति।
- (iii) टीम भावना एवं सामूहिक कार्य संस्कृति।
- (iv) गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता।
- (v) सामाजिक उत्तरदायित्व।
- (vi) खुलापन एवं पारदर्शिता।

1.1.9. संगठनात्मक संरचना / संगठनात्मक चार्ट



<https://rgu.ac.in/page/organizational-chart>

1.1.10. विभाग की उत्पत्ति, स्थापना, गठन तथा समय-समय पर विभागाध्यक्षों (HoDs) का विवरण

राजीव गांधी विश्वविद्यालय (पूर्व में अरुणाचल विश्वविद्यालय) की आधारशिला भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा ४ फरवरी, १९८४ को रोरो हिल्स में रखी गई थी, जहाँ वर्तमान में विश्वविद्यालय का परिसर स्थित है। विश्वविद्यालय को २८ मार्च, १९८५ को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा धारा 2(एफ) के अंतर्गत शैक्षणिक मान्यता प्राप्त हुई तथा इसने १ अप्रैल, १९८५ से अपना कार्य प्रारम्भ किया।

इसके पश्चात विश्वविद्यालय को २५ मार्च, १९९४ को यूजीसी अधिनियम, १९५६ की धारा 12-बी के अंतर्गत वित्तीय मान्यता प्राप्त हुई, जिसके फलस्वरूप यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहित केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र बन गया।

भारत सरकार के तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधिसूचना के माध्यम से ९ अप्रैल, २००७ को विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। इसके बाद से राजीव गांधी विश्वविद्यालय देश के प्रमुख उच्च शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थानों में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए है।

विभिन्न विभागों एवं केंद्रों की स्थापना तिथि

(विभागों को वर्णानुक्रम (Alphabetical Order) में सूचीबद्ध किया गया है)

क्र. सं.	विभाग/केंद्र का नाम	स्थापना वर्ष
१	कृषि अर्थशास्त्र (Agricultural Economics)	२०१९
२	कृषि अभियांत्रिकी (Agricultural Engineering)	२०१९
३	कृषि विस्तार एवं संचार (Agricultural Extension & Communication)	२०१९
४	कृषि विज्ञान (Agronomy)	२०१९
५	पशु विज्ञान (मत्स्यकी) [Animal Science (Fisheries)]	२०१९
६	मानवशास्त्र (Anthropology)	२०१२
७	अरुणाचल जनजातीय अध्ययन संस्थान (AITS)	१९९५
८	वनस्पति विज्ञान (Botany)	१९९७
९	रसायन विज्ञान (Chemistry)	२०११
१०	वाणिज्य (Commerce)	१९९५
११	कंप्यूटर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी (Computer Science & Engineering)	२००५
१२	दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र (Centre for Distance and Online Education)	२००५
१३	अर्थशास्त्र (Economics)	१९९१
१४	शिक्षा (Education)	१९८८
१५	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अभियांत्रिकी (Electronics & Communications Engineering)	२०१५
१६	अंग्रेजी (English)	१९९०
१७	कीट विज्ञान (Entomology)	२०१९
१८	ललित कला एवं संगीत (Fine Arts and Music)	२०१७
१९	खाद्य प्रौद्योगिकी (Food Technology)	२०१९
२०	आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन (Genetics and Plant Breeding)	२०१९
२१	भूगोल (Geography)	१९९२
२२	भूविज्ञान (Geology)	२०१७
२३	हिंदी (Hindi)	१९९९
२४	इतिहास (History)	१९८८
२५	उद्यानिकी (Horticulture)	२०१९
२६	स्नातक अध्ययन संस्थान (Institute of Under Graduate Studies)	२०२३
२७	विधि (Law)	२०२०
२८	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान (Library Science)	२०२४
२९	प्रबंधन (Management)	२००५
३०	जनसंचार (Mass Communication)	२००४

३१	गणित एवं कंप्यूटिंग (Mathematics & Computing)	२००५
३२	राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन (National Security Studies)	२०१९
३३	शारीरिक शिक्षा (Physical Education)	२०१५
३४	भौतिकी (Physics)	२०११
३५	पादप रोग विज्ञान (Plant Pathology)	२०१९
३६	राजनीति विज्ञान (Political Science)	१९८८
३७	मनोविज्ञान (Psychology)	२०१७
३८	समाज कार्य (Social Work)	२०१५
३९	समाजशास्त्र (Sociology)	२०११
४०	मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन (Soil Science & Agricultural Chemistry)	२०१९
४१	खेल जैव-यांत्रिकी (Sports Biomechanics)	२०२०
४२	खेल शरीर क्रिया विज्ञान (Sports Physiology)	२०२०
४३	खेल मनोविज्ञान (Sports Psychology)	२०२०
४४	सांख्यिकी (Statistics)	२०१९
४५	शक्ति प्रशिक्षण एवं कंडीशनिंग (Strength Training and Conditioning)	२०२०
४६	प्राणी विज्ञान (Zoology)	१९९७

विभागों एवं केंद्रों के विभागाध्यक्षों (HoDs) / निदेशकों का कार्यकाल विवरण

कृषि अर्थशास्त्र विभाग

क्र. सं.	नाम	पदभार ग्रहण करने की तिथि	कार्यकाल / अवधि
१	डॉ. अविचा तांगजांग	०६.०७.२०२३	०५.०७.२०२४
२	डॉ. देवेगौड़ा एस. आर.	०६.०७.२०२४	वर्तमान तक

कृषि अभियांत्रिकी विभाग

क्र. सं.	नाम	पदभार ग्रहण करने की तिथि	कार्यकाल / अवधि
१	डॉ. एन. आर. एन. वी. गौरीपति राव	०६.०७.२०२३	वर्तमान तक

कृषि प्रसार एवं संचार विभाग

क्र. सं.	नाम	पदभार ग्रहण करने की तिथि	कार्यकाल / अवधि
१	डॉ. देवेगौड़ा एस. आर.	२५.०९.२०२५	वर्तमान तक

कृषि विज्ञान (एग्रोनॉमी) विभाग

क्र. सं.	नाम	पदभार ग्रहण करने की तिथि	कार्यकाल / अवधि
१	डॉ. आर. रस्टम झीपाओ	०६.०७.२०२३	वर्तमान तक

मानवशास्त्र विभाग

क्र. सं.	नाम	पदभार ग्रहण करने की तिथि	कार्यकाल / अवधि
१	प्रो. सरित के. चौधुरी	०१.०६.२०१२	२६.११.२०१४
२	प्रो. हाओबिजाम वोकेन्द्र सिंह	२७.११.२०१४	०१.१२.२०२०
३	प्रो. सरित के. चौधुरी	०१.१२.२०२०	१६.०५.२०२२
४	प्रो. हाओबिजाम वोकेन्द्र सिंह	१७.०५.२०२२	१०.०५.२०२३
५	डॉ. राधे अमंग	११.०५.२०२३	११.०५.२०२६
६	डॉ. धृतिमान शर्मा	१२.०५.२०२६	वर्तमान तक

अरुणाचल जनजातीय अध्ययन संस्थान

क्र. सं.	नाम	पदभार ग्रहण करने की तिथि	कार्यकाल / अवधि
१	प्रो. तामो मिबांग	१९९५	२००२
२	डॉ. पी. टी. अब्राहम	२००२	२००५
३	डॉ. पी. टी. अब्राहम	२००५	२००६
४	प्रो. तामो मिबांग	२००६	२००८
५	प्रो. तामो मिबांग	२००८	२०१२
६	प्रो. जुम्यिर बसर	२०१२	जुलाई २०१३
७	प्रो. एम. सी. बेहरा	०१.०८.२०१३	२०.१०.२०१३
८	प्रो. एस. साइमन जॉन	२१.१०.२०१३	२५.०९.२०१७
९	प्रो. एस. साइमन जॉन	२५.०९.२०१७	२५.०९.२०२०
१०	प्रो. जुम्यिर बसर	२५.०९.२०२०	२७.०८.२०२३
११	प्रो. एस. साइमन जॉन	२८.०८.२०२३	वर्तमान तक

वनस्पति विज्ञान विभाग

क्र. सं.	नाम	पदभार ग्रहण करने की तिथि	कार्यकाल / अवधि
१	प्रो. ए. के. दास	१९९७	२००८
२	प्रो. ए. के. शुक्ला	२००८	२०११
३	प्रो. सुम्पम तांगजांग	२०१४	२०१५
४	प्रो. ए. के. दास	२०१५	२०१६
५	प्रो. सुम्पम तांगजांग	२०१६	२०१७
६	प्रो. हुई टैग	२०१७	२०२०
७	प्रो. सुम्पम तांगजांग	२०२०	मई २०२१
८	प्रो. आर. के. सिंह	०१.०६.२०२१	३०.०५.२०२४
९	प्रो. सुम्पम तांगजांग	०१.०६.२०२४	११.०५.२०२६
१०	डॉ. आयम विक्टर सिंह	१२.०५.२०२६	वर्तमान तक

रसायन विज्ञान विभाग

क्र. सं.	नाम	पदभार ग्रहण करने की तिथि	कार्यकाल / अवधि
१	प्रो. कमलेश चौधुरी	१३.०७.२०११	३१.०९.२०१२
२	डॉ. पंकज दास	०१.१०.२०१२	०९.०७.२०१४
३	डॉ. एम. डी. हारुन रशीद	०९.०७.२०१४	१४.०७.२०१६
४	डॉ. राजेश चक्रवर्ती	१५.०७.२०१६	१४.०७.२०१९
५	डॉ. राजेश चक्रवर्ती	१५.०७.२०१९	१६.०५.२०२२
६	डॉ. लखीनाथ सैकिया	१७.०५.२०२२	३०.०८.२०२३
७	डॉ. राजेश चक्रवर्ती	०१.०९.२०२३	वर्तमान तक

वाणिज्य विभाग

क्र. सं.	नाम	पदभार ग्रहण करने की तिथि	कार्यकाल / अवधि
१	डॉ. रंजीत तमुली	०३.०८.१९९५	०२.०८.१९९८
२	डॉ. रंजीत तमुली	०३.०८.१९९८	०२.०८.२००१
३	डॉ. रंजीत तमुली	०३.०८.२००१	०२.०८.२००४
४	डॉ. रंजीत तमुली	०३.०८.२००४	०२.०८.२००६
५	डॉ. आर. सी. परिदा	०३.०८.२००६	०२.०८.२००९
६	डॉ. आर. सी. परिदा	०३.०८.२००९	०२.०८.२०१२
७	प्रो. आर. सी. परिदा	०३.०८.२०१२	१९.०४.२०१५
८	डॉ. तासी काये	०९.०९.२०१५	०८.०४.२०१८
९	प्रो. तासी काये	०९.०९.२०१८	०८.०४.२०२१
१०	प्रो. ओतेम पदुंग	०९.०४.२०१८	३१.०८.२०२०
११	प्रो. संजीव कुमार जेना	०१.०९.२०२०	३१.०८.२०२३
१२	प्रो. आर. सी. परिदा	०१.०९.२०२३	वर्तमान तक

कंप्यूटर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी विभाग

क्र. सं.	नाम	से	अवधि
१.	श्री मार्षे सोरा	०७.०९.२००५	१६.०५.२००६
२.	डॉ. शिखर शर्मा	१७.०५.२००६	१९.०२.२००८
३.	श्री मार्षे सोरा	२०.०२.२००८	२४.११.२००८
४.	प्रो. उत्पल भट्टाचार्जी	२५.११.२००८	१६.०६.२०१५
५.	श्री अनी तगू	१७.०५.२०१५	१७.०३.२०२०
६.	प्रो. उत्पल भट्टाचार्जी	१७.०३.२०२०	२७.११.२०२३
७.	डॉ. मार्षे सोरा	२८.११.२०२२	२८.१२.२०२५
८.	डॉ. अनी तगू	२९.१२.२०२५	वर्तमान तक

अर्थशास्त्र विभाग

क्र. सं.	नाम	से	अवधि
१.	डॉ. एन. सी. रॉय	१६.०७.१९९१	०९.०९.१९९४

२.	डॉ. अमिताभ मित्रा	१०.०९.१९९४	०९.०९.१९९७
३.	डॉ. अमिताभ मित्रा	१०.०९.१९९७	०९.०९.२०००
४.	डॉ. एन. सी. रॉय	१०.०९.२०००	०९.०९.२००३
५.	प्रो. अमिताभ मित्रा	१०.०९.२००३	०९.०९.२००६
६.	प्रो. अमिताभ मित्रा	१०.०९.२००६	०९.०९.२००९
७.	प्रो. सुशांत कुमार नायक	१०.०९.२००९	०९.०९.२०१२
८.	प्रो. वंदना उपाध्याय	१०.०९.२०१२	०९.०९.२०१५
९.	प्रो. एन. सी. रॉय	१०.०९.२०१५	१४.११.२०१५
१०.	प्रो. सुशांत कुमार नायक	१५.११.२०१६	१४.११.२०१९
११.	प्रो. वंदना उपाध्याय	१५.११.२०१९	१४.११.२०२२
१२.	प्रो. सुशांत कुमार नायक	१५.११.२०२२	०६.११.२०२५
१३.	प्रो. लिजुम नोची	०७.११.२०२५	वर्तमान तक

शिक्षा विभाग

क्र. सं.	नाम	से	अवधि
१.	प्रो. जे. सी. सोनी	१९८८	१९८८
२.	प्रो. एम. ए. सुधीर	१९८८	१९९१
३.	प्रो. जे. सी. सोनी	१९९२	१९९९
४.	प्रो. के. सी. कपूर	२०००	२००६
५.	प्रो. जे. सी. सोनी	२००६	२००७
६.	प्रो. राचोब ताबा	२००७	२०१०
७.	प्रो. जे. साहू	२०१०	२०१३
८.	प्रो. टी. ल्हंगदिम	२०१३	२०१६
९.	प्रो. एलिजाबेथ हेंगसिंग	२०१६	२०१९
१०.	प्रो. केसांग डेगी	२०१९	१८.०८.२०२२
११.	प्रो. पी. के. आचार्य	१९.०८.२०२२	१८.०८.२०२५
१२.	प्रो. बोआ रीना (टोक)	१८.०८.२०२५	वर्तमान तक

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अभियांत्रिकी विभाग

क्र. सं.	नाम	से	अवधि
१.	श्री जगदीप राहुल	२८.०७.२०१५	३१.०८.२०२०
२.	श्री मैबाम संजू मीतेई	०१.०९.२०२०	२६.०३.२०२३
३.	सुश्री चम्पा तांगा	२७.०३.२०२३	३१.०८.२०२३
४.	श्री मैबाम संजू मीतेई	०१.०९.२०२३	वर्तमान तक

अंग्रेजी विभाग

क्र. सं.	नाम	से	अवधि
----------	-----	----	------

१.	प्रो. बी. एन. सिंह	१५.०७.१९९०	१३.०७.१९९७
२.	प्रो. बी. एन. सिंह	१४.०७.१९९७	१३.०७.२०००
३.	प्रो. एन. नागराजू	२०.१०.२०००	२६.१०.२००३
४.	प्रो. एन. नागराजू	२७.१०.२००३	१६.१०.२००६
५.	प्रो. एन. नागराजू	१७.१०.२००६	२९.०५.२००७
६.	डॉ. डी. पी. नाथ	३०.०५.२००७	१९.०३.२००९
७.	डॉ. एस. बिस्वास	२०.०३.२००९	२०.०५.२००९
८.	प्रो. एन. नागराजू	२१.०५.२००९	२८.०५.२०११
९.	डॉ. एस. बिस्वास	२९.०५.२०११	२८.०८.२०१२
१०.	प्रो. ए. आर. पारही	२९.०८.२०१२	२०.०५.२०१२
११.	प्रो. ए. आर. पारही	२१.०५.२०१२	०८.०६.२०१५
१२.	प्रो. भागवत नायक	०९.०६.२०१५	०३.०८.२०१८
१३.	डॉ. के. सी. मिश्रा	०४.०८.२०१८	२५.०७.२०२१
१४.	प्रो. भागवत नायक	२६.०७.२०२१	२८.०२.२०२४
१५.	प्रो. के. सी. मिश्रा	२९.०२.२०२४	१३.११.२०२५
१६.	प्रो. मियाजी हजाम	१४.११.२०२५	वर्तमान तक

कीट विज्ञान विभाग (एंटोमोलॉजी विभाग)

क्र. सं.	नाम	से	अवधि
१.	डॉ. भावेश डेका	०६.०७.२०२३	वर्तमान तक

ललित कला एवं संगीत विभाग

क्र. सं.	नाम	से	अवधि
१.	श्री अशोक बरमन	२०१७	३१.०८.२०२०
२.	श्री पुन्यो छोबिन	०१.०९.२०२०	३१.०८.२०२३
३.	श्री पल्लव सैकिया	०१.०९.२०२३	०९.१०.२०२४
४.	श्री अशोक बरमन	१०.१०.२०२४	वर्तमान तक

खाद्य प्रौद्योगिकी विभाग

क्र. सं.	नाम	से	अवधि
१.	प्रो. सुम्पम तंगजंग (समन्वयक)	०२.०८.२०१९	०२.०३.२०२३
२.	डॉ. दीपेंद्र राजोरिया	०३.०३.२०२३	२३.०७.२०२३
३.	डॉ. संदीप जांगहु	२४.०७.२०२३	३१.०५.२०२३
४.	डॉ. दीपेंद्र राजोरिया	०१.०६.२०२४	वर्तमान तक

आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग

क्र. सं.	नाम	से	अवधि
१.	डॉ. असीम देबनाथ	०६.०७.२०२३	०५.०७.२०२४
२.	डॉ. नीरज कुमार वशिष्ठ	०६.०७.२०२४	वर्तमान तक

भूगोल विभाग

क्र. सं.	नाम	से	अवधि
१.	डॉ. आर. एस. यादव	३१.०८.१९९२	२८.०७.२०००
२.	डॉ. आर. सी. जोशी	२८.०७.२०००	२६.०७.२००३
३.	डॉ. आर. एस. यादव	२६.०७.२००३	०८.१२.२००५
४.	डॉ. आर. सी. जोशी	०८.१२.२००५	१६.११.२००८
५.	डॉ. टोमो रिबा	१६.११.२००८	२१.१२.२००८
६.	डॉ. निशामणि कर	०५.१२.२००८	२०.०१.२००९
७.	डॉ. नंदिनी सी. सिंह	२१.०१.२००९	२८.१२.२०११
८.	डॉ. निशामणि कर	२९.१२.२०११	२८.१२.२०१४
९.	डॉ. एस. के. पटनायक	२०.०१.२०१५	१९.०१.२०१८
१०.	डॉ. किरण कुमारी	१९.०१.२०१८	२२.०१.२०२१
११.	प्रो. टोमो रिबा	२२.०१.२०२१	२८.०३.२०२३
१२.	प्रो. सैलजानंद सैकिया	२९.०३.२०२३	१२.०३.२०२५
१३.	प्रो. गिब्जी निमासो	१३.०३.२०२५	वर्तमान तक

भूविज्ञान विभाग

क्र. सं.	नाम	से	अवधि
१.	डॉ. ए. ए. लस्कर	जुलाई २०१७	३१.०८.२०२०
२.	डॉ. चंद्र शेखरन एम.	०१.०९.२०२०	३१.०८.२०२३
३.	डॉ. अनवरुल आलम लस्कर	०१.०९.२०२३	वर्तमान तक

हिंदी विभाग

क्र. सं.	नाम	से	अवधि
१.	डॉ. ए. के. नाथ	१७.०९.१९९९	१६.०९.२००२
२.	डॉ. एन. के. पांडेय	१७.०९.२००२	२१.०९.२००५

३.	डॉ. ए. के. नाथ	२२.०९.२००५	२०.०९.२००८
४.	डॉ. ए. के. नाथ	२२.०९.२००८	२१.०१.२०१०
५.	डॉ. ओकेन लेगो	२५.०७.२०१२	०५.०८.२०१३
६.	डॉ. एच. के. शर्मा	०६.०८.२०१३	०५.०८.२०१६
७.	डॉ. ओकेन लेगो	१६.०८.२०१६	२३.०८.२०१९
८.	प्रो. एस. एस. सिंह	२३.०८.२०१९	२१.१०.२०२२
९.	प्रो. ओकेन लेगो	२२.१०.२०२२	३०.०९.२०२४
१०.	डॉ. अरुण पांडेय (विभागाध्यक्ष प्रभारी)	०१.१०.२०२४	३१.०३.२०२५
११.	प्रो. ओकेन लेगो	०१.०४.२०२५	२०.१०.२०२५
१२.	डॉ. जोरम यालम नबाम	२१.१०.२०२५	वर्तमान तक

इतिहास विभाग

क्र. सं.	नाम	से	अवधि
१.	प्रो. एस. दत्ता	२०.०९.१९८८	२०.०९.१९९३
२.	प्रो. तामो मिबांग	२०.०९.१९९३	२०.०८.१९९५
३.	प्रो. एस. दत्ता	२०.०८.१९९५	१४.०९.२००४
४.	प्रो. बी. त्रिपाठी	१४.०९.२००४	१७.०९.२००७
५.	प्रो. एस. के. सिंह	१७.०९.२००७	१९.०७.२०११
६.	प्रो. एस. एन. सिंह	२०.०७.२०११	१९.०७.२०१४
७.	प्रो. ताना शोरेन	३१.०७.२०१४	३१.०८.२०१७
८.	प्रो. सरहा हिलाली	०१.०९.२०१७	३१.०८.२०२०
९.	प्रो. आशान रिद्धि	०१.०९.२०२०	३१.०८.२०२३
१०.	प्रो. प्रशांत कुमार नायक	०१.०९.२०२३	वर्तमान तक

बागवानी विभाग

क्र. सं.	नाम	से	अवधि
१.	डॉ. मलय मारुत शर्मा	०६.०७.२०२३	३१.०८.२०२३
२.	डॉ. अरिंदम बरमन	०१.०९.२०२३	वर्तमान तक

विधि विभाग

क्र. सं.	नाम	से	अवधि
१.	प्रो. आर. सी. परिडा, समन्वयक	२०२०	२०२१
२.	डॉ. टोपी बसर	१४.०६.२०२१	१३.०६.२०२४
३.	डॉ. समीर भादुड़ी	१४.०६.२०२४	वर्तमान तक

प्रबंधन विभाग

क्र. सं.	नाम	से	अवधि
१.	प्रो. आर. तमुली	२००५	२०१४
२.	श्री बी. पी. एस. बरुआ	२०१४	२०१५
३.	डॉ. अरिंदम गर्ग	२०१५	२०२१
४.	डॉ. शंकर थप्पा	१८.०६.२०२१	वर्तमान तक

जनसंचार विभाग

क्र. सं.	नाम	से	अवधि
१.	श्री मोजी रिबा	२००४	२००८
२.	श्री सुनील कोइजाम	२००८	२०१२
३.	श्री मोजी रिबा	२०१२	२०१४
४.	प्रो. ख. काबी	२०१४	२०१७
५.	प्रो. ख. काबी	२०१७	२०२०
६.	श्री मोजी रिबा	२०२०	२०२१
७.	डॉ. नवाज़ खान	२०२१	१०.०२.२०२२
८.	प्रो. उत्तम कुमार पेगू	११.०२.२०२२	१७.०१.२०२४
९.	प्रो. ख. काबी	१८.०१.२०२४	वर्तमान तक

गणित विभाग

क्र. सं.	नाम	से	अवधि
१.	श्री टी. के. चौधरी	२००४	२००६
२.	डॉ. बिपन हजारिका	२००६	२०१०
३.	डॉ. उत्पल ज्योति दास	२०१०	२०१४
४.	प्रो. साहिन अहमद	२०१४	२०१७
५.	प्रो. साहिन अहमद	२०१७	२०२०
६.	डॉ. निपेन सैकिया	०१.०९.२०२०	३१.०८.२०२३
७.	डॉ. निपेन सैकिया	०१.०९.२०२३	वर्तमान तक

राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन विभाग

क्र. सं.	नाम	से	अवधि
१.	प्रो. पी. के. पाणिग्रही (समन्वयक)	३०.०५.२०१६	०९.०१.२०१९
२.	प्रो. नानी बाथ (समन्वयक)	१०.०१.२०१९	०१.१२.२०२०
३.	प्रो. पी. के. पाणिग्रही (समन्वयक)	०२.१२.२०२०	२८.०२.२०२३
४.	डॉ. अरविंद कुमार कुशवाहा	०१.०३.२०२३	१६.०२.२०२६
५.	डॉ. सुआइहियाम्पो कामेई	१७.०२.२०२६	वर्तमान तक

शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान विभाग

क्र. सं.	नाम	से	अवधि
१.	डॉ. अनिल मिली	३०.०७.२०१५	३१.०८.२०२०
२.	डॉ. तादांग मिन्	०१.०९.२०२०	१०.०२.२०२२
३.	डॉ. सम्भु प्रसाद	११.०२.२०२२	०७.११.२०२४
४.	डॉ. तादांग मिन्	०८.११.२०२४	वर्तमान तक

भौतिकी विभाग

क्र. सं.	नाम	से	अवधि
१.	प्रो. हीरालाल दास	१२.०७.२०११	२०.०८.२०१३
२.	डॉ. उपमन्यु दास	२१.०८.२०१३	०६.०७.२०१५
३.	प्रो. संजीव कुमार	०७.०७.२०१५	०६.०७.२०१८
४.	प्रो. संजीव कुमार	०७.०७.२०१८	१५.०७.२०२१
५.	प्रो. पी. के. कलिता	१६.०७.२०२१	१५.०७.२०२४
६.	प्रो. संजीव कुमार	१६.०७.२०२४	२९.०९.२०२४
७.	प्रो. पी. के. कलिता	३०.०९.२०२४	वर्तमान तक

राजनीति विज्ञान विभाग

क्र. सं.	नाम	से	अवधि
१.	प्रो. ए. सी. तालुकदार	१९९८	२००१
२.	प्रो. अरुण के. आर. सिंह	२००१	२००३
३.	प्रो. पी. के. पाणिग्रही	२००३	२००६
४.	प्रो. पुरा तादो	२००६	२०११
५.	प्रो. नानी बाथ	२०११	२०१४
६.	प्रो. नाबाम नाखा हीना	२०१७	२०१७
७.	प्रो. पी. के. पाणिग्रही	२०१७	२०२०
८.	प्रो. नाबाम नाखा हीना	२०२०	२०२४
९.	प्रो. नानी बाथ	०६.०९.२०२४	२५.०७.२०२५
१०.	प्रो. तादांग मिबांग	२६.०७.२०२५	वर्तमान तक

पादप रोग विज्ञान विभाग

क्र. सं.	नाम	से	अवधि
१.	डॉ. (सुश्री) याशी उम्ब्रे	०६.०७.२०२३	वर्तमान तक

मनोविज्ञान विभाग

क्र. सं.	नाम	से	अवधि
१.	डॉ. काकली गोस्वामी	१०.०७.२०१७	३०.०८.२०२०

२.	डॉ. धर्मेश्वरी लौरैम्बम	०१.०९.२०२०	२९.०९.२०२३
३.	डॉ. प्रशांत कुमार साहा	३०.०९.२०२३	१४.०५.२०२६
४.	डॉ. काकली गोस्वामी (प्रभारी)	१५.०५.२०२६	वर्तमान तक

सामाजिक कार्य विभाग

क्र. सं.	नाम	से	अवधि
१.	श्री चाफियाक लोवांग	०७.०८.२०१५	१४.०९.२०१८
२.	डॉ. कौशलेंद्र प्रताप सिंह	१४.०९.२०१८	१५.०९.२०२१
३.	डॉ. रवि रंजन कुमार	१५.०९.२०२१	१९.०९.२०२४
४.	डॉ. कौशलेंद्र प्रताप सिंह	२०.०९.२०२४	वर्तमान तक

समाजशास्त्र विभाग

क्र. सं.	नाम	से	अवधि
१.	प्रो. मुकीतुल हुसैन	जुलाई २०११	अगस्त २०१३
२.	श्री बिकाश बागे	सितम्बर २०१३	अगस्त २०१४
३.	डॉ. सौभाग्य रंजन पाधी	अगस्त २०१४	१२.०९.२०१७
४.	डॉ. बिकाश बागे	१३.०९.२०१७	१४.०९.२०२०
५.	डॉ. शशांक यादव	१५.०९.२०२०	१४.०९.२०२३
६.	डॉ. बिकाश बागे	१५.०९.२०२३	वर्तमान तक

मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग

क्र. सं.	नाम	से	अवधि
१.	डॉ. समीख्या भूयान	०६.०७.२०२३	०५.०७.२०२४
२.	डॉ. सागोलशेम कालिदास सिंह	०६.०७.२०२४	वर्तमान तक

सांख्यिकी विभाग

क्र. सं.	नाम	से	अवधि
१.	प्रो. वंदना उपाध्याय (समन्वयक)	०२.०८.२०१९	वर्तमान तक
२.	डॉ. एन. विक्रिमचंद्र सिंह	०२.०३.२०२३	१०.०३.२०२४
३.	डॉ. मंजूनाथ बैंगलोर गोविंदा राजू	११.०३.२०२४	०७.०१.२०२५
४.	प्रो. वंदना उपाध्याय	०८.०१.२०२५	वर्तमान तक

प्राणी विज्ञान विभाग

क्र. सं.	नाम	से	अवधि
१.	डॉ. अभिजीत मजूमदार	१९९७	१९९९
२.	डॉ. ओ. पी. सिंह	१९९९	२००१
३.	डॉ. अभिजीत मजूमदार	२००१	२००२
४.	डॉ. डी. एन. दास	२००२	२००३
५.	डॉ. एच. एन. शर्मा	२००३	२००६

६.	डॉ. डी. एन. दास	२००६	२००९
७.	डॉ. जे. चक्रवर्ती	२००९	२०१२
८.	प्रो. एच. एन. शर्मा	२०१२	२०१५
९.	प्रो. डी. एन. दास	२०१५	२०१८
१०.	प्रो. जे. चक्रवर्ती	२०१८	२०२१
११.	प्रो. डी. एन. दास	२०२१	०५.०४.२०२२
१२.	डॉ. डैनियल मित्रे	०६.०४.२०२२	०४.०६.२०२४
१३.	प्रो. एच. एन. शर्मा	०५.०६.२०२४	२७.११.२०२५
१४.	प्रो. डी. एन. दास	२८.११.२०२५	वर्तमान तक

विश्वविद्यालय के सांविधिक अधिकारियों का कार्यकाल

कुलपति

क्र. सं.	नाम	से	अवधि
१.	प्रो. सी. एल. आनंद	०१.०९.१९८७	१३.०१.१९९२
२.	श्री मदन झा, आई.ए.एस.	११.०२.१९९२	२२.०१.१९९३
३.	श्री एस. रघुनाथन, आई.ए.एस.	२५.०१.१९९३	०५.१२.१९९३
४.	प्रो. ए. सी. भगवती	०६.१२.१९९३	०५.१२.१९९८
५.	प्रो. तामो मिबांग (कार्यवाहक)	०६.१२.१९९८	१०.०१.१९९९
६.	डॉ. के. के. द्विवेदी	११.०१.१९९९	१५.११.२००२
७.	प्रो. तामो मिबांग	१६.११.२००२	१९.०८.२००३
८.	प्रो. अतुल शर्मा	१९.०८.२००३	३०.०६.२००६
९.	प्रो. तामो मिबांग (कार्यवाहक)	०१.०७.२००६	१९.११.२००६
१०.	प्रो. एस. सी. साहा	२०.११.२००६	०९.०४.२००७
११.	प्रो. के. सी. बेल्लियप्पा	०९.०४.२००७	०५.०५.२०१०
१२.	प्रो. तामो मिबांग (कार्यवाहक)	०६.०५.२०१०	०४.१०.२०११
१३.	प्रो. डेविड आर. सियेमलिह	०५.१०.२०११	०६.०६.२०१२
१४.	प्रो. के. सी. कपूर (कार्यवाहक)	१९.०६.२०१२	१८.१२.२०१२
१५.	प्रो. तामो मिबांग	१८.१२.२०१२	०१.०८.२०१८
१६.	प्रो. अमिताभ मित्रा (कार्यवाहक)	०१.०८.२०१८	०४.१०.२०१८
१७.	प्रो. साकेत कुशवाहा	०	

प्रो-कुलपति

क्र. सं.	नाम	से	अवधि
१.	श्री मदन झा, आई.ए.एस.	११.०२.१९९२	२२.०१.१९९३

२.	श्री एस. रचनाथन, आई.ए.एस.	२५.०१.१९९३	०५.१२.१९९३
३.	प्रो. तामो मिबांग	१३.०९.२००२	०९.०४.२००८
४.	प्रो. पुरा तादो	२६.०३.२०१०	०५.०५.२०१०
५.	प्रो. अमिताभ मित्रा	०१.१०.२०१९	३१.१०.२०२२

रजिस्ट्रार

क्र. सं.	नाम	से	अवधि
१.	श्री ए. पी. श्रीवास्तव	०१.०७.१९८५	०५.०५.१९८८
२.	डॉ. जे. नाथ	०६.०५.१९८८	०४.०५.१९९१
३.	डॉ. ताई न्योरी (कार्यवाहक)	०५.०५.१९९१	२१.११.१९९१
४.	श्री जोराम बेगी	२९.११.१९९१	०८.११.१९९६
५.	डॉ. ताई न्योरी (कार्यवाहक)	२९.११.१९९६	०९.०२.१९९७
६.	श्री जोराम बेगी	१०.०२.१९९७	३१.०१.२००२
७.	डॉ. ताई न्योरी (कार्यवाहक)	३१.०१.२००२	३०.१२.२००३
८.	डॉ. ताई न्योरी (कार्यवाहक)	३०.१२.२००३	३१.१२.२००६
९.	श्री स्टीफन होंग्रे (कार्यवाहक)	०१.०१.२००७	०५.११.२००७
१०.	प्रो. अमिताभ मित्रा (कार्यवाहक)	०१.११.२००७	०८.०४.२००८
११.	डॉ. दीपक पांडेय	०८.०४.२००८	०८.०७.२००९
१२.	श्री अथिखो चालाई (कार्यवाहक)	१३.०७.२००९	२५.०१.२०१०
१३.	डॉ. टोमो रिबा (कार्यवाहक)	२६.०१.२०१०	२१.०३.२०१०
१४.	डॉ. ताना शोरेन (कार्यवाहक)	२९.०३.२०१०	१८.०७.२०१०
१५.	प्रो. अमिताभ मित्रा (कार्यवाहक)	१९.०७.२०१०	२४.१२.२०११
१६.	डॉ. टोमो रिबा (कार्यवाहक)	२४.१२.२०११	२४.०४.२०१२
१७.	डॉ. ताना शोरेन (कार्यवाहक)	२५.०४.२०१२	०३.०६.२०१२
१८.	डॉ. राचोब ताबा	०४.०५.२०१२	०३.०६.२०१७
१९.	प्रो. अमिताभ मित्रा (कार्यवाहक)	०३.०६.२०१७	०४.०९.२०१७
२०.	प्रो. टोमो रिबा (कार्यवाहक)	०५.०९.२०१७	२४.०९.२०२०
२१.	डॉ. एन. टी. रिक्काम	२४.०९.२०२०	वर्तमान तक

वित्त अधिकारी

क्र. सं.	नाम	से	अवधि
१.	श्री स्टीफन होंग्रे	२१.११.२००५	१९.०२.२००८

२.	श्री तोमार एते (कार्यवाहक)	२०.०२.२००८	१५.०४.२००८
३.	डॉ. डी. पांडेय (कार्यवाहक)	१६.०४.२००८	२३.०७.२००८
४.	श्री अथिखो चालाई	२४.०७.२००८	१०.०४.२०१३
५.	प्रो. अमिताभ मित्रा (कार्यवाहक)	११.०४.२०१३	०१.०८.२०१८
६.	प्रो. टोमो रिबा (कार्यवाहक)	०१.०८.२०१८	१७.०२.२०१९
७.	प्रो. ओटेम पडुंग (कार्यवाहक)	१८.०२.२०१९	३१.०८.२०२०
८.	प्रो. ओटेम पडुंग	०१.०९.२०२०	वर्तमान तक

परीक्षा नियंत्रक

क्र. सं.	नाम	से	अवधि
१.	श्री एस. सी. दास	२५.०४.१९८८	२०.१२.१९९०
२.	डॉ. ताई न्योरी	२१.१२.१९९०	३०.१२.२००३
३.	डॉ. ताई न्योरी (कार्यवाहक)	३०.१२.२००३	३१.१२.२००६
४.	डॉ. ताई न्योरी	३१.१२.२००६	२४.१०.२००७
५.	श्री तोमार एते	२४.१०.२००७	१८.११.२००८
६.	डॉ. टोमो रिबा (कार्यवाहक)	१८.११.२००८	२४.०४.२०१२
७.	प्रो. रंजीत तमुली (कार्यवाहक)	२४.०४.२०१२	३१.०७.२०१४
८.	प्रो. रंजीत तमुली	०१.०८.२०१४	११.०७.२०१८
९.	डॉ. नानी तमांग जोसे (कार्यवाहक)	१२.०७.२०१८	२३.०९.२०२०
१०.	डॉ. विजय राजी	२४.०९.२०२०	

आईक्यूएसी निदेशक

क्र. सं.	नाम	से	अवधि
१.	प्रो. अमिताभ मित्रा	०३.११.२०११	१५.१२.२०१९
२.	प्रो. आर. सी. परिडा	१६.१२.२०१९	२४.०३.२०२४
३.	प्रो. उत्पल भट्टाचार्य	२५.०३.२०२४	वर्तमान तक

दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र (पूर्व में आईडीई)

क्र. सं.	नाम	से	अवधि
१.	प्रो. एम. सी. बेहरा	११.०३.२००५	१८.०९.२००८

२.	प्रो. जे. सी. सोनी	१९.०९.२००८	११.१०.२००९
३.	प्रो. टोमो रिबा	१२.१०.२००९	११.०४.२०१०
४.	प्रो. आशान रिड्डी	१२.०४.२०१०	वर्तमान तक

पुस्तकालयाध्यक्ष

क्र. सं.	नाम	से	अवधि
१.	डॉ. एम. माल्टेश	२०१७	२०१९
२.	डॉ. सुधीर कुमार जेना	२०२४	वर्तमान तक

डीन (दिनांक ०१.०६.२०२६ के अनुसार)

क्र. सं.	नाम	संकाय
१.	प्रो. नानी बाथ	सामाजिक विज्ञान संकाय
२.	डॉ. संदीप जांगहु (प्रभारी)	कृषि विज्ञान संकाय
३.	प्रो. संजीव कुमार	आधारभूत विज्ञान संकाय
४.	प्रो. संजीव कुमार जेना	वाणिज्य एवं प्रबंधन संकाय
५.	डॉ. (सुश्री) टोपी बसर (प्रभारी)	विधि संकाय
६.	प्रो. ओकेन लेगो	भाषा संकाय
७.	प्रो. हुई टैग	जीवन विज्ञान संकाय
८.	प्रो. (श्रीमती) एलिजाबेथ हैंगसिंग	शिक्षा संकाय
९.	प्रो. सम्भु प्रसाद	शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान संकाय
१०.	प्रो. मार्पे सोरा	अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय
११.	प्रो. सैलाजनंद सैक्रिया	पर्यावरण विज्ञान संकाय
१२.	प्रो. उत्तम कुमार पेगू	संचार अध्ययन संकाय
१३.	प्रो. उत्तम कुमार पेगू	दृश्य एवं प्रदर्शन कला संकाय

विश्वविद्यालय परिसर में उपलब्ध सुविधाएँ

राजीव गांधी विश्वविद्यालय द्वारा अपने परिसर में निम्नलिखित सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं:

1. विश्वविद्यालय पूर्व छात्र संघ (Alumni Association)

विश्वविद्यालय का एक सक्रिय पूर्व छात्र संघ है, जिसमें पूर्व छात्र, वर्तमान कर्मचारी एवं शिक्षक सदस्य एवं सहयोगी सदस्य के रूप में जुड़े हैं। यह संघ सामाजिक कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों तथा शैक्षणिक प्रकाशनों का आयोजन करता है तथा प्रवेश प्रक्रिया के दौरान हेल्प डेस्क के माध्यम से नए विद्यार्थियों की सहायता भी करता है।

2. बैंक एवं डाकघर

प्रशासनिक भवन में बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा एटीएम सुविधा सहित कार्यरत है। परिसर में स्पीड पोस्ट सुविधा युक्त ईडीबीपीओ (उप डाकघर) तथा भारतीय स्टेट बैंक (SBI) का एटीएम भी उपलब्ध है।

3. **जैव-सूचना विज्ञान केंद्र (Bioinformatics Centre)**
वर्ष 2007 में स्थापित यह केंद्र विश्वविद्यालय एवं आसपास के संस्थानों के शोधार्थियों तथा स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को जैव-सूचना विज्ञान एवं जैव-विविधता से संबंधित हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर सुविधाएँ उपलब्ध कराता है।
4. **मुक्केबाजी अकादमी (Boxing Academy)**
उभरते हुए मुक्केबाजों के प्रशिक्षण एवं प्रतिभा संवर्धन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा मुक्केबाजी अकादमी संचालित की जाती है।
5. **कैंटीन एवं सहकारी भंडार**
परिसर में केंद्रीय कैंटीन, चाय स्टॉल, कैफेटेरिया, सहकारी भंडार, पुस्तक स्टॉल, औषधि केंद्र, स्टेशनरी एवं किराना दुकानें तथा सैलून उपलब्ध हैं। फोटोकॉपी सुविधा भी प्रदान की जाती है।
6. **कैरियर परामर्श प्रकोष्ठ (Career Counselling Cell)**
वर्ष 2011 में स्थापित यह प्रकोष्ठ विद्यार्थियों को सॉफ्ट स्किल, संचार कौशल, प्रतियोगी परीक्षाओं एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह SEBI एवं NSEIL, कोलकाता के सहयोग से कार्य करता है।
7. **महाविद्यालय विकास परिषद (College Development Council)**
संबद्ध महाविद्यालयों को मार्गदर्शन प्रदान करने तथा उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार हेतु यह परिषद कार्य करती है। यह विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों के बीच समन्वय स्थापित करती है।
8. **सामुदायिक पेयजल केंद्र (Community Drinking Water Centre)**
स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल ₹1 प्रति लीटर की नाममात्र दर पर उपलब्ध कराया जाता है।
9. **सामुदायिक विकास प्रकोष्ठ (Community Development Cell)**
"उन्नत भारत अभियान" के अंतर्गत गोद लिए गए गाँवों में शिक्षा, जागरूकता, डिजिटल साक्षरता एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का समन्वय करता है।
10. **कंप्यूटर केंद्र (Computer Centre)**
वर्ष 2004 में स्थापित यह केंद्र सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सेवाएँ, आईटी सहायता, कंप्यूटर रखरखाव तथा ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
11. **दिवा देखभाल केंद्र (Day Care Centre)**
वर्ष 2006 में स्थापित यह केंद्र विश्वविद्यालय के कर्मचारियों, विद्यार्थियों, शोधार्थियों एवं अतिथि परिवारों के 3 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल की सुविधा प्रदान करता है।
12. **स्वास्थ्य केंद्र (Health Centre)**
चार बिस्तारों वाला स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सकों, नर्सों, तकनीशियनों एवं फार्मासिस्ट की सेवाओं सहित कार्यरत है। 24×7 एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध है।
13. **हिंदी प्रकोष्ठ (Hindi Cell)**
राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार हेतु कार्यशालाएँ, प्रशिक्षण कार्यक्रम, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताएँ आयोजित करता है तथा प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा, हिंदी टंकण एवं आशुलिपि पाठ्यक्रम संचालित करता है।
14. **छात्रावास (Hostel Accommodation)**
विश्वविद्यालय में 17 छात्रावास (8 पुरुष, 8 महिला एवं 1 सामान्य) हैं, जिनमें लगभग 1492 विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था है। प्रत्येक छात्रावास में सामान्य कक्ष, टीवी एवं इनडोर खेलों की सुविधा उपलब्ध है।
15. **नवाचार केंद्र (Innovation Centre)**
विद्यार्थियों एवं स्थानीय समुदाय के कौशल विकास तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मशरूम उत्पादन, सब्जी उत्पादन एवं बुनाई जैसी गतिविधियों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
16. **दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र (Centre for Distance and Online Education)**
स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम संचालित करता है तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण को बढ़ावा देता है।
17. **आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (IQAC)**
विश्वविद्यालय में गुणवत्ता संस्कृति के विकास, गुणवत्ता आश्वासन एवं गुणवत्ता संवर्धन गतिविधियों के संचालन हेतु स्थापित प्रकोष्ठ।
18. **अंतरराष्ट्रीय शोधार्थी प्रकोष्ठ (International Scholars' Cell)**
विदेशी विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों की शैक्षणिक एवं अनुसंधान संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्थापित।

19. नेट कोचिंग केंद्र (NET Coaching Centre)

यूजीसी/सीएसआईआर-नेट तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु विभिन्न विषयों में निःशुल्क कोचिंग प्रदान करता है।

20. राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS)

व्यक्तित्व विकास एवं सामुदायिक सेवा के उद्देश्य से वृक्षारोपण, रक्तदान, स्वच्छता अभियान एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

21. छात्र कल्याण अधिष्ठाता कार्यालय (Dean of Students' Welfare)

छात्रावास प्रबंधन, छात्र गतिविधियों, अध्ययन भ्रमण, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं छात्रसंघ चुनावों का समन्वय करता है।

22. शारीरिक शिक्षा शाखा (Physical Education Branch)

खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए फुटबॉल मैदान, एथलेटिक्स ट्रैक, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट एवं बहुउद्देश्यीय सभागार जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराती है।

23. आंतरिक शिकायत समिति (ICC)

यौन उत्पीड़न की रोकथाम एवं निवारण हेतु विश्वविद्यालय में सुरक्षित एवं लैंगिक-संवेदनशील वातावरण सुनिश्चित करती है।

24. सूचना का अधिकार (RTI) प्रकोष्ठ

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के समयबद्ध निस्तारण हेतु कार्यरत।

25. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग एवं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ

इन वर्गों से संबंधित मुद्दों, कल्याणकारी योजनाओं एवं अभिलेखों के रखरखाव का कार्य करता है।

26. विश्वविद्यालय पुस्तकालय (University Library)

वर्ष 1998 से स्वतंत्र भवन में संचालित। इसमें 63,000 से अधिक पुस्तकें, शोध प्रबंध, ई-जर्नल, ई-पुस्तकें, RFID आधारित पुस्तक निर्गमन प्रणाली तथा DELNET एवं शोधनिधि जैसी डिजिटल सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

27. परिवहन सुविधा (Transport Facilities)

छात्रों एवं कर्मचारियों के लिए निरजुली, नाहरलगुन एवं ईटानगर तक रियायती बस सेवाएँ उपलब्ध हैं।

28. विश्वविद्यालय-उद्योग संपर्क प्रकोष्ठ (UIIC)

वर्ष 2014 में स्थापित यह प्रकोष्ठ उद्योग एवं विश्वविद्यालय के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करता है।

29. वी-सैट एवं इंटरनेट सुविधा (V-SAT Facility)

उच्च गति इंटरनेट, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (NKN), कैपस नेटवर्किंग एवं अन्य आईटी सेवाओं का संचालन करता है।

30. महिला अध्ययन एवं अनुसंधान केंद्र (WS&RC)

महिला सशक्तिकरण, शोध, प्रशिक्षण, संगोष्ठी एवं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

31. ग्रामीण व्यवसाय इनक्यूबेशन केंद्र (RuBIC)

वर्ष 2025 में NABARD के सहयोग से स्थापित यह केंद्र उद्यमिता, नवाचार, कौशल विकास, स्टार्टअप संवर्धन एवं ग्रामीण व्यवसाय विकास को प्रोत्साहित करता है। NEP 2020, स्टार्टअप इंडिया एवं आत्मनिर्भर भारत की अवधारणाओं के अनुरूप कार्य करता है।

1.2 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य [धारा 4(1)(ख)(ii)]

1.2.1 अधिकारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य (प्रशासनिक, वित्तीय एवं न्यायिक)

1.2.1.1 आगंतुक (Visitor) (राजीव गांधी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 9 के अनुसार)

भारत के राष्ट्रपति विश्वविद्यालय के आगंतुक (Visitor) होंगे।

1. आगंतुक समय-समय पर एक या अधिक व्यक्तियों को विश्वविद्यालय, उसके द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालयों एवं संस्थानों के कार्यों और प्रगति की समीक्षा करने तथा उस पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु नियुक्त कर सकते हैं। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आगंतुक, कुलपति के माध्यम से कार्यकारी परिषद् के विचार प्राप्त कर, आवश्यक समझे जाने वाले निर्देश जारी कर सकते हैं, जिनका पालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।
2. आगंतुक को यह अधिकार होगा कि वे विश्वविद्यालय, उसके भवनों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं एवं उपकरणों तथा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या उससे संबद्ध महाविद्यालयों एवं संस्थानों का निरीक्षण करवा सकें। साथ ही विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, शिक्षण कार्यों तथा प्रशासन एवं वित्त से संबंधित मामलों की जाँच भी करवा सकेंगे।
3. उपधारा (3) में वर्णित प्रत्येक मामले में आगंतुक निरीक्षण या जाँच कराए जाने के अपने आशय की सूचना देंगे—
(क) विश्वविद्यालय को, यदि निरीक्षण या जाँच विश्वविद्यालय अथवा उसके द्वारा संचालित किसी महाविद्यालय या संस्थान के संबंध में हो; अथवा
(ख) संबंधित महाविद्यालय या संस्थान के प्रबंधन को, यदि निरीक्षण या जाँच विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी महाविद्यालय या संस्थान के संबंध में हो।
विश्वविद्यालय अथवा प्रबंधन को आवश्यकतानुसार अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।
4. विश्वविद्यालय अथवा प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात आगंतुक उपधारा (3) के अंतर्गत निरीक्षण या जाँच करवा सकते हैं।
5. आगंतुक द्वारा कराए गए निरीक्षण अथवा जाँच में विश्वविद्यालय या प्रबंधन को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार होगा, जो निरीक्षण या जाँच के दौरान उपस्थित रह सकेगा तथा अपना पक्ष रख सकेगा।
6. यदि निरीक्षण या जाँच विश्वविद्यालय अथवा उसके द्वारा संचालित किसी महाविद्यालय या संस्थान के संबंध में हो, तो आगंतुक कुलपति को निरीक्षण या जाँच के परिणाम तथा उस पर आवश्यक सुझाव एवं परामर्श भेज सकते हैं। कुलपति इन विचारों एवं परामर्शों को कार्यकारी परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
7. यदि निरीक्षण या जाँच विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी महाविद्यालय या संस्थान के संबंध में हो, तो आगंतुक कुलपति के माध्यम से संबंधित प्रबंधन को निरीक्षण या जाँच के परिणाम, अपने विचार तथा आवश्यक सुझाव भेज सकते हैं।
8. कार्यकारी परिषद् अथवा संबंधित प्रबंधन, निरीक्षण या जाँच के परिणामों पर प्रस्तावित या की गई कार्रवाई की सूचना कुलपति के माध्यम से आगंतुक को देंगे।
9. यदि कार्यकारी परिषद् अथवा प्रबंधन उचित समय के भीतर आगंतुक की संतुष्टि के अनुसार कार्रवाई नहीं करता है, तो आगंतुक स्पष्टीकरण या अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद आवश्यक निर्देश जारी कर सकते हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा।
10. इस धारा के अन्य प्रावधानों को प्रभावित किए बिना, आगंतुक लिखित आदेश द्वारा विश्वविद्यालय की किसी ऐसी कार्यवाही को निरस्त कर सकते हैं जो अधिनियम, परिनियम (Statutes) या अध्यादेश (Ordinances) के अनुरूप न हो।

परंतु, ऐसा आदेश पारित करने से पूर्व वे कुलसचिव (Registrar) को कारण बताने का अवसर देंगे कि ऐसा आदेश क्यों न पारित किया जाए। यदि उचित समय के भीतर कोई कारण प्रस्तुत किया जाता है, तो उस पर विचार किया जाएगा।

11. आगंतुक को वे अन्य शक्तियाँ भी प्राप्त होंगी जो परिनियमों द्वारा निर्धारित की जाएँ।

1.2.1.2 मुख्य रेक्टर (Chief Rector)

अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल विश्वविद्यालय के पदेन (Ex-Officio) मुख्य रेक्टर होंगे।

1.2.1.3 विश्वविद्यालय के अधिकारी

निम्नलिखित विश्वविद्यालय के अधिकारी होंगे—

- (क) कुलाधिपति (Chancellor)
- (ख) कुलपति (Vice-Chancellor)

- (ग) प्रति-कुलपति (Pro-Vice-Chancellor)
- (घ) संकायों के अधिष्ठाता (Deans of Faculties)
- (ङ) कुलसचिव (Registrar)
- (च) वित्त अधिकारी (Finance Officer)
- (छ) परीक्षा नियंत्रक (Controller of Examinations)
- (ज) पुस्तकालयाध्यक्ष (Librarian)
- (झ) तथा ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का अधिकारी घोषित किया जाए।

1.1.10.1. **कुलाधिपति:** कुलाधिपति की नियुक्ति आगंतुक (Visitor) द्वारा विश्वविद्यालय के परिनियमों (Statutes) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। कुलाधिपति अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय के प्रमुख (Head of the University) होंगे तथा उनकी उपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह (Convocation), जिसमें उपाधियाँ प्रदान की जाती हैं, तथा विश्वविद्यालय के कोर्ट (Court) की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

डॉ. जे. सुरेश बाबू
कुलाधिपति
संपर्क: +९१-९४३६०-३३२२२

1.1.10.2. **कुलपति:** कुलपति की नियुक्ति आगंतुक (Visitor) द्वारा विश्वविद्यालय के परिनियमों (Statutes) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।

प्रो. एम. के. नायक
कार्यवाहक कुलपति
संपर्क: +९१ ३६० २२७७२५२
vc@rgu.ac.in

यह सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है :
<https://rgu.ac.in/vc-profile>

(क) कुलपति विश्वविद्यालय के प्रमुख कार्यकारी एवं शैक्षणिक अधिकारी होंगे तथा विश्वविद्यालय के समस्त कार्यों पर सामान्य पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण रखेंगे और विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकरणों द्वारा लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करेंगे।

(ख) कुलपति विश्वविद्यालय के प्रमुख कार्यकारी एवं शैक्षणिक अधिकारी होंगे तथा विश्वविद्यालय के समस्त कार्यों पर सामान्य पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण रखेंगे और विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकरणों के निर्णयों को प्रभावी बनाएंगे। यदि कुलपति की राय में किसी मामले में तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो, तो वे इस अधिनियम के अंतर्गत विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं तथा ऐसी कार्रवाई की सूचना संबंधित प्राधिकरण की अगली बैठक में प्रस्तुत करेंगे।

परंतु यह कि यदि संबंधित प्राधिकरण की राय में ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी, तो वह मामले को आगंतुक (Visitor) के समक्ष संदर्भित कर सकता है, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

यह भी परंतु है कि विश्वविद्यालय की सेवा में कार्यरत कोई भी व्यक्ति, जो इस उपधारा के अंतर्गत कुलपति द्वारा की गई कार्यवाही से व्यथित हो, वह उक्त कार्यवाही की सूचना प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के भीतर कार्यकारी परिषद् (**Executive Council**) के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है। तत्पश्चात कार्यकारी परिषद् कुलपति द्वारा की गई कार्यवाही की पुष्टि, संशोधन अथवा निरस्तीकरण कर सकती है।

(ग) यदि कुलपति की राय में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण द्वारा लिया गया कोई निर्णय इस अधिनियम, परिनियमों (**Statutes**) अथवा अध्यादेशों (**Ordinances**) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के दायरे से बाहर है अथवा विश्वविद्यालय के हित में नहीं है, तो वे संबंधित प्राधिकरण से उस निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं। यह पुनर्विचार निर्णय की तिथि से साठ दिनों के भीतर किया जाएगा। यदि संबंधित प्राधिकरण निर्णय की पूर्णतः या आंशिक रूप से समीक्षा करने से इंकार करता है अथवा उक्त साठ दिनों की अवधि में कोई निर्णय नहीं लेता है, तो मामला आगंतुक (**Visitor**) को संदर्भित किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

(घ) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, जो परिनियमों (**Statutes**) अथवा अध्यादेशों (**Ordinances**) द्वारा निर्धारित किए गए हों।

1.1.10.3. प्रति-कुलपति: प्रति-कुलपति की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिनियमों (**Statutes**) में निर्धारित प्रक्रिया तथा सेवा की शर्तों के अनुसार की जाएगी। प्रति-कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो परिनियमों द्वारा निर्धारित किए जाएँ।

1.1.10.4. संकायों के अधिष्ठाता: प्रत्येक संकाय के अधिष्ठाता की नियुक्ति परिनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी तथा वे परिनियमों द्वारा निर्धारित शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

1.1.10.5. कुलसचिव: कुलसचिव की नियुक्ति परिनियमों में निर्धारित प्रक्रिया तथा सेवा की शर्तों के अनुसार की जाएगी। कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से समझौते करने, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने तथा अभिलेखों को प्रमाणित करने की शक्ति होगी। वे परिनियमों द्वारा निर्धारित अन्य शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

1.1.10.6. वित्त अधिकारी: वित्त अधिकारी की नियुक्ति परिनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी तथा वे परिनियमों द्वारा निर्धारित शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

1.1.10.7. परीक्षा नियंत्रक: परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति परिनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी तथा वे परिनियमों द्वारा निर्धारित शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

1.1.10.8. पुस्तकालयाध्यक्ष: पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति परिनियमों में निर्धारित प्रक्रिया तथा सेवा की शर्तों के अनुसार की जाएगी तथा वे परिनियमों द्वारा निर्धारित शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

1.1.10.9. अन्य अधिकारी: विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया तथा उनकी शक्तियाँ एवं कर्तव्य परिनियमों द्वारा निर्धारित किए जाएँगे।

1.1.10.10. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण: विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे—

1. कोर्ट (Court)

2. कार्यकारी परिषद् (Executive Council)
3. शैक्षणिक परिषद् (Academic Council)
4. महाविद्यालय विकास परिषद् (College Development Council)
5. अध्ययन मंडल (Board of Studies)
6. वित्त समिति (Finance Committee)
7. तथा ऐसे अन्य प्राधिकरण जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकरण घोषित किया जाए।

7.1.1.1.1. कोर्ट: कोर्ट की संरचना तथा उसके सदस्यों का कार्यकाल परिनियमों द्वारा निर्धारित किया जाएगा। परिनियमों में निर्धारित संख्या के अनुसार विश्वविद्यालय के शिक्षकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों में से कुछ सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे। इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए कोर्ट की निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कार्य होंगे—

(क) समय-समय पर विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों एवं कार्यक्रमों की समीक्षा करना तथा विश्वविद्यालय के सुधार एवं विकास के लिए सुझाव देना।

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखों तथा उनके लेखा-परीक्षण प्रतिवेदन पर विचार कर संकल्प पारित करना।

(ग) आगतुक (**Visitor**) द्वारा संदर्भित किसी भी विषय पर परामर्श देना।

(घ) परिनियमों द्वारा निर्धारित अन्य कार्यों का निर्वहन करना।

7.1.1.1.2. कार्यकारी परिषद्: कार्यकारी परिषद् विश्वविद्यालय की प्रमुख कार्यकारी संस्था होगी। इसकी संरचना, सदस्यों का कार्यकाल तथा इसकी शक्तियाँ एवं कार्य परिनियमों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। परिनियमों में निर्धारित संख्या के अनुसार इसके कुछ सदस्य कोर्ट के निर्वाचित सदस्यों में से होंगे।

7.1.1.1.3. शैक्षणिक परिषद्: शैक्षणिक परिषद् विश्वविद्यालय की प्रमुख शैक्षणिक संस्था होगी तथा अधिनियम, परिनियमों एवं अध्यादेशों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का समन्वय एवं सामान्य पर्यवेक्षण करेगी। सकी संरचना, सदस्यों का कार्यकाल तथा इसकी शक्तियाँ एवं कार्य परिनियमों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। परिनियमों में निर्धारित संख्या के अनुसार इसके कुछ सदस्य कोर्ट के उन निर्वाचित सदस्यों में से होंगे जो विश्वविद्यालय के शिक्षक हों।

7.1.1.1.4. महाविद्यालय विकास परिषद्: महाविद्यालय विकास परिषद् विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों हेतु महाविद्यालयों को प्रवेश प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगी। इसकी संरचना, सदस्यों का कार्यकाल तथा शक्तियाँ एवं कार्य परिनियमों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

7.1.1.1.5. अध्ययन मंडल: अध्ययन मंडल की संरचना, शक्तियाँ एवं कार्य परिनियमों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

7.1.1.1.6. वित्त समिति: वित्त समिति की संरचना, शक्तियाँ एवं कार्य परिनियमों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

7.1.1.1.7. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरण: विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य प्राधिकरण, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकरण घोषित किया जाएगा, उनकी संरचना, शक्तियाँ एवं कार्य भी परिनियमों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

विश्वविद्यालय के विभिन्न वैधानिक अधिकारियों एवं अन्य प्राधिकरणों की शक्तियाँ तथा कर्तव्य राजीव गांधी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006, परिनियम (Statutes) एवं अध्यादेश (Ordinances) में परिभाषित एवं निर्दिष्ट किए गए हैं, जो नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध हैं।

<https://rgu.ac.in/uploads/act-ordinance/files/17579214680oMllcheajK.pdf>

<https://rgu.ac.in/uploads/act-ordinance/files/17579214682ePPZcG3Xan.pdf>
<https://rgu.ac.in/acts-ordinances>
<https://rgu.ac.in/statutory-officers>
<https://rgu.ac.in/executive-council/>
<https://rgu.ac.in/academic-council/>
<https://rgu.ac.in/finance-committee/>
<https://rgu.ac.in/college-development-council/>
<https://rgu.ac.in/university-court/>
<https://rgu.ac.in/advisory-committee>

7.1.2. अन्य कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य

विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य राजीव गांधी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006, विश्वविद्यालय के परिनियमों (**Statutes**) तथा अध्यादेशों (**Ordinances**) में निर्धारित किए गए हैं।

उक्त परिनियम एवं अध्यादेश विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक के अंतर्गत उपलब्ध हैं:

<https://rgu.ac.in/uploads/act-ordinance/files/17579214680oMllcheajK.pdf>
<https://rgu.ac.in/uploads/act-ordinance/files/17579214682ePPZcG3Xan.pdf>
<https://rgu.ac.in/acts-ordinances>

7.1.3. अन्य कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य प्राप्त करने तथा उनका प्रयोग करने से संबंधित नियम/आदेश

कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य विश्वविद्यालय अधिनियम, विश्वविद्यालय के परिनियमों (**Statutes**) तथा अध्यादेशों (**Ordinances**) से प्राप्त होते हैं और उन्हीं के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं।

विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियम एवं अध्यादेश विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक के अंतर्गत उपलब्ध हैं:

<https://rgu.ac.in/uploads/act-ordinance/files/17579214680oMllcheajK.pdf>
<https://rgu.ac.in/uploads/act-ordinance/files/17579214682ePPZcG3Xan.pdf>
<https://rgu.ac.in/acts-ordinances>

7.1.4. कार्य आवंटन

कार्यों का आवंटन एवं दायित्वों का निर्धारण विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियमों (**Statutes**) तथा अध्यादेशों (**Ordinances**) के अनुसार किया जाता है, जो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक के अंतर्गत उपलब्ध हैं:


<https://rgu.ac.in/uploads/act-ordinance/files/17579214680oMllcheajK.pdf>
<https://rgu.ac.in/uploads/act-ordinance/files/17579214682ePPZcG3Xan.pdf>
<https://rgu.ac.in/acts-ordinances>

7.2. निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली [धारा 4(1)(b)(iii)]

7.2.1. निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली

निर्णय-निर्माण के प्रमुख बिंदुओं की पहचान: विश्वविद्यालय में निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया राजीव गांधी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006, परिनियमों (Statutes), अध्यादेशों (Ordinances), शैक्षणिक नियमों एवं विनियमों/नीतियों, विश्वविद्यालय के नियमों, तथा समय-समय पर शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) एवं अन्य वैधानिक/नियामक प्राधिकरणों (SRAs) से प्राप्त निर्देशों के अनुसार संचालित की जाती है। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय न्यायालय (University Court), कार्यकारी परिषद (Executive Council), शैक्षणिक परिषद (Academic Council) एवं वित्त समिति (Finance Committee) द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णयों तथा विश्वविद्यालय की स्थापित प्रक्रियाओं एवं प्रथाओं का भी अनुपालन किया जाता है।

कुलपति (Vice-Chancellor) एवं वैधानिक निकाय (Statutory Bodies) विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों एवं नियमों के प्रावधानों के अनुरूप नीतिगत विषयों का निर्माण एवं निर्धारण करते हैं तथा प्रशासनिक निर्णय लेते हैं।



निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली: प्राधिकारी द्वारा नियमित मामलों में निर्णय राजीव गांधी विश्वविद्यालय अधिनियम (RGU Act), परिनियमों (Statutes), अध्यादेशों (Ordinances), शैक्षणिक नियमों एवं विनियमों/नीतियों तथा विश्वविद्यालय के नियमों एवं शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education) तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) से प्राप्त निर्देशों के अनुसार लिए जाते हैं।

महत्वपूर्ण निर्णय विश्वविद्यालय के वैधानिक निकायों, जैसे विश्वविद्यालय न्यायालय (Court), कार्यकारी परिषद (Executive Council), शैक्षणिक परिषद (Academic Council) तथा वित्त समिति (Finance Committee) की समय-समय पर आयोजित बैठकों में लिए जाते हैं। ये निर्णय राजीव गांधी विश्वविद्यालय अधिनियम तथा विश्वविद्यालय के परिनियमों द्वारा इन निकायों को प्रदत्त शक्तियों के अनुसार लिए जाते हैं।

विश्वविद्यालय के वैधानिक निकायों की बैठकों के कार्यवृत्त (Minutes of Meetings) राजीव गांधी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियम (Statutes) एवं अध्यादेश (Ordinances) विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
परिनियम एवं अध्यादेश वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक के अंतर्गत उपलब्ध हैं:

<https://rgu.ac.in/uploads/act-ordinance/files/17579214680oMlIcheajK.pdf>

<https://rgu.ac.in/uploads/act-ordinance/files/17579214682ePPZcG3Xan.pdf>

<https://rgu.ac.in/acts-ordinances>

निर्णय-निर्माण प्रक्रिया का विवरण निम्नलिखित पर उपलब्ध है –

<https://rgu.ac.in/uploads/file-explorer/files/Procedure-followed-in-Decision-Making-Process.pdf>

7.2.2. अंतिम निर्णय लेने वाला प्राधिकरण

विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियमों (Statutes) एवं अध्यादेशों (Ordinances) के अनुसार, कार्यकारी परिषद (Executive Council) विश्वविद्यालय का सर्वोच्च निर्णय-निर्माण निकाय है। नीतिगत मामलों का निर्णय कुलपति (Vice Chancellor) एवं वैधानिक निकायों (विश्वविद्यालय न्यायालय, कार्यकारी परिषद, शैक्षणिक परिषद एवं वित्त समिति) द्वारा राजीव गांधी विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियमों एवं अध्यादेशों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार किया जाता है।

कुलपति विश्वविद्यालय के दैनिक प्रशासन से संबंधित सभी निर्णय भी लेते हैं। शैक्षणिक परिषद (Academic Council), अनुसंधान बोर्ड (Research Board), वैधानिक अधिकारी, विश्वविद्यालय अधिकारी, अधिष्ठाता (Deans), विभागाध्यक्ष (HoDs) / निदेशक (Directors) आदि अपने-अपने प्रशासनिक क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न निर्णय विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियमों एवं अध्यादेशों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार लेते हैं।

परिनियम एवं अध्यादेश विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक के अंतर्गत उपलब्ध हैं:

<https://rgu.ac.in/uploads/act-ordinance/files/17579214680oMlIcheajK.pdf>

<https://rgu.ac.in/uploads/act-ordinance/files/17579214682ePPZcG3Xan.pdf>

<https://rgu.ac.in/acts-ordinances>

निर्णय-निर्माण प्रक्रिया का विवरण निम्नलिखित पर उपलब्ध है –

<https://rgu.ac.in/uploads/file-explorer/files/Procedure-followed-in-Decision-Making-Process.pdf>

7.2.3. संबंधित प्रावधान, अधिनियम एवं नियम आदि

कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों के निष्पादन हेतु उपयोग में लाई जाने वाली अथवा उनके नियंत्रण में रखी जाने वाली नियमावली, विनियम, निर्देश, मैनुअल एवं अभिलेख निम्नलिखित हैं:

1. राजीव गांधी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (संख्या 8 of 2007)
2. विश्वविद्यालय के परिनियम (Statutes) एवं अध्यादेश (Ordinances)
3. भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियम (GFR-2017), मूल नियम (Fundamental Rules), यात्रा भत्ता नियम (TA Rules), LTC नियम तथा चिकित्सा आवंटन नियम, समय-समय पर यथा संशोधित
4. अध्यादेश एवं भर्ती नियम (Ordinances and Recruitment Rules)
5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के दिशानिर्देश एवं नियम, समय-समय पर संशोधित, उपलब्ध: www.ugc.ac.in

6. शिक्षा मंत्रालय एवं अन्य संबंधित मंत्रालयों द्वारा जारी दिशानिर्देश, निर्देश एवं नियम, समय-समय पर संशोधित

विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियम एवं अध्यादेश विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक के अंतर्गत उपलब्ध हैं:

<https://rgu.ac.in/uploads/act-ordinance/files/17579214680oMllcheajK.pdf>
<https://rgu.ac.in/uploads/act-ordinance/files/17579214682ePPZcG3Xan.pdf>
<https://rgu.ac.in/acts-ordinances>

7.2.4. निर्णय लेने के लिए समय-सीमा, यदि कोई हो

प्राधिकरण निर्णय लेने के लिए समय-सारिणी का पालन शिक्षा मंत्रालय (**Ministry of Education**) के आदेश/अधिसूचनाओं, डीओपीटी (**DoPT**) नियमों, विश्वविद्यालय के अध्यादेशों, नियमों एवं विनियमों तथा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार करता है। विश्वविद्यालय के वैधानिक निकायों की बैठकों की आवृत्ति राजीव गांधी विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियमों एवं अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित होती है।

यद्यपि किसी भी निर्णय के लिए कोई विधिक रूप से निर्धारित समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं है, तथापि निर्णय सामान्यतः न्यूनतम समय में लिए जाते हैं, जो कि निर्णय की प्रकृति, महत्व तथा प्रशासनिक स्तरों की संख्या के आधार पर लगभग 1 दिन से 15 दिन तक हो सकता है।

निर्णय लेने की समय-सीमा के कुछ उदाहरण निम्नानुसार दिए गए हैं:

क्र. सं.	निर्णय	निर्धारित समय-सीमा
01	विद्यार्थियों / शोधार्थियों / कर्मचारियों को अवकाश प्रदान करना	01 से 03 दिन
02	मुख्यालय छोड़ने की अनुमति	01 दिन
03	LTC (लीव ट्रैवल कंसेशन) हेतु आवेदन	03 दिन
04	NOC आदि प्राप्त करने हेतु आवेदन	03 से 07 दिन
05	उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन (उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतिलिपि उपलब्ध कराना)	10 दिन
06	अंकपत्र / प्रोविजनल प्रमाणपत्र / माइग्रेशन प्रमाणपत्र जारी करना	03 दिन
07	पहचान पत्र / पुस्तकालय कार्ड आदि जारी करना	03 दिन
08	RTI अधिनियम के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों का उत्तर	अधिनियम में निर्धारित अनुसार
09	नियमित प्रशासनिक निर्णय	01 दिन
10	अनुसंधान बोर्ड / शैक्षणिक परिषद की स्वीकृति पर आधारित शैक्षणिक निर्णय	आरबी/एसी बैठकों के कार्यक्रम के अनुसार
11	कार्यकारी परिषद की स्वीकृति पर आधारित निर्णय	ईसी बैठक के कार्यक्रम के अनुसार

टिप्पणी (**NB**): निर्धारित समय-सीमा सामान्य निर्णयों के लिए है तथा निर्णय की महत्ता एवं संबंधित मुद्दों की प्रकृति के अनुसार यह समय-सीमा परिवर्तित हो सकती है।


शैक्षणिक समय-सारिणी (**Academic Schedule**) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार निर्धारित की जाती है, जो निम्नलिखित पर उपलब्ध है –

<https://rgu.ac.in/academic-calendar>

7.2.5. अनुश्रवण एवं उत्तरदायित्व का माध्यम

विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 तथा परिनियमों एवं अध्यादेशों में निर्धारित प्रक्रिया एवं कार्य आवंटन के अनुसार विश्वविद्यालय कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, संगठनात्मक चार्ट (Organizational Chart) में अनुश्रवण एवं उत्तरदायित्व की शृंखला (Channel of Supervision & Accountability) को दर्शाया गया है।

कुलपति (Vice Chancellor) विश्वविद्यालय के प्रधान कार्यकारी एवं शैक्षणिक अधिकारी होते हैं तथा विश्वविद्यालय के समस्त कार्यों पर सामान्य पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का प्रयोग करते हैं। वे विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करते हैं।



शैक्षणिक विभागों/केन्द्रों में प्रत्येक विभाग का प्रमुख विभागाध्यक्ष (HoD) / निदेशक (Director) होता है, जो अपने विभाग/केन्द्र के कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है तथा संबंधित संकाय के अधिष्ठाता (Dean of the Faculty) को रिपोर्ट करता है।

प्रशासनिक शाखाओं में अनुभाग अधिकारी (Section Officer) / सहायक कुलसचिव (Assistant Registrar) / उप कुलसचिव (Deputy Registrar) / संयुक्त कुलसचिव (Joint Registrar) अपने-अपने शाखाओं के प्रमुख होते हैं, जो अपने अनुभाग/शाखा के कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करते हैं तथा उप कुलसचिव / संयुक्त कुलसचिव / वित्त अधिकारी / कुलसचिव (Registrar) को, जैसा भी मामला हो, रिपोर्ट करते हैं।

इंजीनियरिंग शाखाओं, पुस्तकालय एवं अन्य प्रमुख निर्णय-निर्माण बिंदुओं में पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व की प्रवाह-प्रणाली (Flow of Supervision and Accountability) ऊपर दिए गए संगठनात्मक चार्ट (Flow Chart) में दर्शाई गई है।

विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियम एवं अध्यादेश विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक के अंतर्गत उपलब्ध हैं:

<https://rgu.ac.in/uploads/act-ordinance/files/17579214680oMllcheajK.pdf>

[https://rgu.ac.in/uploads/act-](https://rgu.ac.in/uploads/act-ordinance/files/17579214682ePPZcG3Xan.pdf)

[ordinance/files/17579214682ePPZcG3Xan.pdf](https://rgu.ac.in/uploads/act-ordinance/files/17579214682ePPZcG3Xan.pdf)

<https://rgu.ac.in/acts-ordinances>

निर्णय-निर्माण प्रक्रिया का विवरण निम्नलिखित पर उपलब्ध है –

<https://rgu.ac.in/uploads/file-explorer/files/Procedure-followed-in-Decision-Making-Process.pdf>

7.3. कार्य निष्पादन हेतु मानक (Norms for discharge of functions) [धारा 4(1)(b)(iv)]

7.3.1. प्रदान किए जाने वाले कार्यों/सेवाओं की प्रकृति

राजीव गांधी विश्वविद्यालय (RGU) का मुख्य कार्य एक सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में:

राजीव गांधी विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के एक संस्थान के रूप में शिक्षण एवं शोध कार्यों के लिए समर्पित है (RGU अधिनियम, 2006)। विश्वविद्यालय अपनी गतिविधियाँ शैक्षणिक समय-सारिणी (Academic Schedule) के अनुसार संचालित करता है, जिसे शैक्षणिक परिषद (Academic Council) एवं कार्यकारी परिषद (Executive Council) द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली कार्यों एवं सेवाओं से संबंधित विवरण पूर्ववर्ती अनुभागों में पहले ही उल्लेखित हैं।

शैक्षणिक समय-सारिणी (Academic Schedule) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार निर्धारित की जाती है, जो निम्नलिखित पर उपलब्ध है –

<https://rgu.ac.in/academic-calendar>

सेवाओं एवं कार्यों का विवरण <https://rgu.ac.in> वेबसाइट पर “Facilities” टैब के अंतर्गत तथा निम्नलिखित पर उपलब्ध है –

<https://rgu.ac.in/uploads/notices/Admission%20Bulletin%202026-2027.pdf>

7.3.2. कार्य निष्पादन हेतु मानक

राजीव गांधी विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न गतिविधियों/कार्यक्रमों के निष्पादन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) एवं भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education, GoI) द्वारा निर्धारित मानकों एवं औपचारिक प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। विभिन्न प्रस्ताव, जैसे संकाय, विभागों एवं विद्यार्थियों से प्राप्त वित्तीय सहायता/योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृति हेतु आवेदन, विश्वविद्यालय प्राधिकरणों को प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं तथा अनुमोदित निर्णयों/स्वीकृतियों को लागू किया जाता है।

विभिन्न विभागों से प्राप्त नियमित पत्राचार समयबद्ध प्रकृति का होता है और उसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर विश्वविद्यालय द्वारा निस्तारित किया जाता है। कार्यों एवं सेवाओं के निष्पादन के मानक, सेवा प्रदाय प्रक्रिया, सेवाओं तक पहुँच की प्रक्रिया तथा समय-सीमा नियमों के अनुसार निर्धारित होती है।

विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यों हेतु मानक एवं मानदंड विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों—जैसे विश्वविद्यालय न्यायालय (Court), कार्यकारी परिषद (Executive Council), शैक्षणिक परिषद (Academic Council) तथा वित्त समिति (Finance Committee)—द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

कुलपति (Vice-Chancellor) एवं कार्यकारी परिषद के निर्देशन में तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट को विश्वविद्यालय न्यायालय की वार्षिक बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें विश्वविद्यालय के लेखापरीक्षित लेखे (Audited Accounts) भी शामिल होते हैं। विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखापरीक्षित लेखों को प्रत्येक वर्ष संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

विश्वविद्यालय न्यायालय सर्वोच्च प्राधिकरण है और इसे कार्यकारी परिषद एवं शैक्षणिक परिषद के कार्यों की समीक्षा करने का अधिकार प्राप्त है, सिवाय उन मामलों के जहाँ इन निकायों ने अधिनियम, परिनियम एवं अध्यादेशों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के अनुसार कार्य किया हो।

7.3.3. इन सेवाओं तक पहुँचने की प्रक्रिया

कार्यालयों, विभागों, केंद्रों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, छात्रावास आदि विश्वविद्यालय परिसर में स्थित हैं, जिससे त्वरित संचार एवं समन्वय की सुविधा उपलब्ध होती है। इन सेवाओं तक पहुँचने की प्रक्रिया विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट <https://rgu.ac.in> पर उपलब्ध है।

कार्य निष्पादन, सेवा प्रदाय मानक (**service delivery norms**), सेवाओं तक पहुँचने की प्रक्रिया तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने की समय-सीमा राजीव गांधी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006, विश्वविद्यालय के परिनियमों (**Statutes**), अध्यादेशों (**Ordinances**) तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार निर्धारित की जाती है।

उक्त प्रावधानों एवं मानकों की जानकारी विश्वविद्यालय की वैधानिक निकायों की बैठकों के कार्यवृत्त (**minutes**), अधिसूचनाओं तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध नियमों के माध्यम से समय-समय पर सूचित की जाती है।

<https://rgu.ac.in/executive-council/>

<https://rgu.ac.in/academic-council/>

<https://rgu.ac.in/finance-committee/>

<https://rgu.ac.in/college-development-council/>

<https://rgu.ac.in/university-court/>

<https://rgu.ac.in/advisory-committee>

विश्वविद्यालय के दैनिक कार्यों के निष्पादन हेतु सामान्य संहिता यह है कि प्रत्येक कार्य को उसकी आवश्यकता एवं तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए दिन-प्रतिदिन आधार पर संपादित किया जाए। कार्य निष्पादन में प्रत्येक प्रकरण की गंभीरता एवं प्राथमिकता के अनुसार त्वरित निर्णय एवं कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।

कार्यकारी परिषद (EC), शैक्षणिक परिषद (AC), वित्त समिति (FC) तथा विश्वविद्यालय न्यायालय (Court) की बैठकों के कार्यवृत्त (Minutes of Meetings) एवं वार्षिक/वित्तीय रिपोर्टें ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों के निष्पादन हेतु उपयोग में लाई जाने वाली अथवा उनके नियंत्रण में रखी जाने वाली नियमावली, विनियम, निर्देश, मैनुअल एवं अभिलेख स्पष्ट रूप से निर्धारित मानकों के अनुसार कार्य निष्पादन हेतु उपयोग किए जाते हैं।

कार्य निष्पादन हेतु मानक निम्नलिखित हैं:

1. राजीव गांधी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (संख्या 8 of 2007)
2. विश्वविद्यालय के परिनियम (Statutes) एवं अध्यादेश (Ordinances)
3. भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियम (GFR-2017), मूल नियम (Fundamental Rules), यात्रा भत्ता नियम (TA Rules), LTC नियम तथा चिकित्सा आवंटन नियम, समय-समय पर संशोधित

4. अध्यादेश एवं भर्ती नियम (Ordinances and Recruitment Rules)
5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के दिशानिर्देश एवं नियम, समय-समय पर संशोधित, उपलब्ध: www.ugc.ac.in
6. शिक्षा मंत्रालय एवं अन्य संबंधित मंत्रालयों द्वारा जारी दिशानिर्देश, निर्देश एवं नियम, समय-समय पर संशोधित

विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियम एवं अध्यादेश विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक के अंतर्गत उपलब्ध हैं:

<https://rgu.ac.in/uploads/act-ordinance/files/17579214680oMlIcheajK.pdf>

[https://rgu.ac.in/uploads/act-](https://rgu.ac.in/uploads/act-ordinance/files/17579214682ePPZcG3Xan.pdf)

[ordinance/files/17579214682ePPZcG3Xan.pdf](https://rgu.ac.in/uploads/act-ordinance/files/17579214682ePPZcG3Xan.pdf)

<https://rgu.ac.in/acts-ordinances>

7.3.4. लक्ष्य प्राप्ति हेतु समय-सीमा (Time Limit for Achieving the Targets)

शैक्षणिक समय-सीमाएँ (Academic Time Limits): लक्ष्यों की प्राप्ति शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार की जाती है, जो विश्वविद्यालय की वेबसाइट <https://rgu.ac.in/academic-calendar> पर उपलब्ध है।

i. अन्य लक्ष्य (Other Targets): अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति राजीव गांधी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006, विश्वविद्यालय के परिनियमों (Statutes), अध्यादेशों (Ordinances), वैधानिक निकायों की बैठकों के निर्णयों के अनुसरण में जारी अधिसूचनाओं तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार की जाती है।

7.3.5. शिकायत निवारण की प्रक्रिया

विश्वविद्यालय विभिन्न हितधारकों एवं आम जनता की शिकायतों के अनुश्रवण एवं समाधान हेतु अपनी सुदृढ़ लोक शिकायत निवारण प्रणाली (Public Grievances Cell) के माध्यम से कार्य करता है। विश्वविद्यालय की शिकायत निवारण प्रणाली केंद्रीय लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System – CPGRAMS) के अंतर्गत संचालित है, जो NIC द्वारा विकसित NICNET आधारित एक ऑनलाइन वेब-सक्षम प्रणाली है। इसका उद्देश्य भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा शिकायतों का शीघ्र निवारण एवं प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करना है।

सामान्यतः शिकायतें ऑनलाइन पोर्टल (CPGRAMS) अथवा ऑफलाइन माध्यम (डाक/ईमेल आदि) से प्राप्त होती हैं। शिकायत प्राप्त होने पर उसे संबंधित शाखा/कार्यालय को आवश्यक सूचना/प्रतिक्रिया हेतु प्रेषित किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर शिकायतों की जांच हेतु समिति का गठन भी किया जाता है। संबंधित कार्यालय/शाखा से प्राप्त उत्तर अथवा समिति की सिफारिशों के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के पश्चात शिकायत का निस्तारण किया जाता है।

विश्वविद्यालय द्वारा हितधारकों की शिकायतों के निवारण हेतु निम्नलिखित समितियाँ/कोशिकाएँ (Cells) भी गठित की गई हैं:

- a) एक भारत श्रेष्ठ भारत (EBSB) सेल
- b) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) सेल
- c) आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (IQAC)
- d) छात्र शिकायत निवारण प्रकोष्ठ
- e) लोक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ
- f) राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS)
- g) करियर काउंसलिंग सेल
- h) सामुदायिक विकास परिषद (CDC)

- i) सूचना का अधिकार (RTI) सेल
- j) विश्वविद्यालय-उद्योग इंटरफेस सेल (UIIC)
- k) अंतरराष्ट्रीय शोधार्थी प्रकोष्ठ
- l) प्लेसमेंट सेल
- m) हिंदी सेल
- n) अल्पसंख्यक सेल
- o) OBC सेल
- p) एंटी-रैगिंग सेल
- q) राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी (NAD) सेल
- r) समान अवसर प्रकोष्ठ

उक्त जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है –

<https://rgu.ac.in/cell/placement-cell>

<https://rgu.ac.in/cell/ek-bharat-shrestha-bharatebsb-cell>

<https://rgu.ac.in/cell/scst-cell>

<https://rgu.ac.in/cell/internal-quality-assurance-cell-igac>

<https://rgu.ac.in/cell/public-grievances-cell>

<https://rgu.ac.in/cell/students-grievances-redressal-cell>

<https://rgu.ac.in/cell/national-service-scheme>

<https://rgu.ac.in/cell/career-counseling-cell>

<https://rgu.ac.in/cell/community-development-cell>

<https://rgu.ac.in/cell/right-to-information-cell>

<https://rgu.ac.in/cell/uiic>

<https://rgu.ac.in/cell/international-scholars-cell>

<https://rgu.ac.in/cell/minority-cell>



<https://rgu.ac.in/cell/obc-cell>

<https://rgu.ac.in/cell/anti-ragging-cell>

<https://rgu.ac.in/cell/equal-opportunity-cell>

<https://rgu.ac.in/cell/hanatha-parakashhatha>

<https://rgu.ac.in/cell/national-academic-depository-cell-nad>

<p style="text-align: center;">RAJIV GANDHI UNIVERSITY RONO HILLS, DOIMUKH</p> <p>No. ADM-37/AC/2000</p> <p style="text-align: right;">January 6, 2022.</p> <p style="text-align: center;">NOTIFICATION</p> <p>All the Grievance related Committees viz. Public Grievances Cell, Anti-Ragging Cell, Online Students' Grievances Redressal Portal, Internal Complaint Committee, Gender Champion Club, SC/ST/OBC/PWD/minority Cell, Psychology Counselling Centre, Sexual Harassment Cell, Career Counselling Cell, etc. of the University shall meet on a 'Weekly Basis' to oversee any grievance related issues in the University and report to the undersigned on 'Weekly Basis' with a copy mark to the Vice Chancellor.</p> <p>Further, the Committees shall also bring such issues, if any, to the knowledge of the Vice Chancellor during a monthly meeting which shall be preferably held on every last Friday of the month.</p> <p>This is issued with the approval of the Vice Chancellor.</p> <p style="text-align: right;">Sd/- Registrar</p> <p>Copy to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PS to Vice Chancellor for information. 2. PA to Pro Vice Chancellor for information. 3. All Deans of Faculties for information. 4. PS to Registrar / Finance Officer / CoE for information. 5. DSW for information. 6. All Heads/Directors of the Departments/Institutes for information. 7. All the Chairmen/Member Secretaries/Coordinators of the aforesaid Committees for information and necessary compliance. 8. Chief Warden / Wardens / Deputy Wardens for information. 9. Joint Registrar (Academic) for information. 10. All Branch Officers for information. 11. Joint Director (CC) for information with a request to upload the same in the university website. 12. Deputy Registrar (A&E) for information. 13. Office copy. <p style="text-align: right;"> (Dr. N.T. Rikam) Registrar</p>	<p style="text-align: center;">RAJIV GANDHI UNIVERSITY RONO HILLS, DOIMUKH</p> <p>F. No. RGU/REG-45/AC/21</p> <p style="text-align: right;">13th August, 2022</p> <p style="text-align: center;">CIRCULAR</p> <p>In continuation to earlier Circular vide No. AC-2191/Students-Griev/Cell/20 dated 20th July, 2022, all the HoDs/Directors of the Departments/Institutes shall forward the admission related matter/grievances to the Admission Monitoring and Grievances Redressal Committee duly constituted for the ongoing admission in various courses in the University.</p> <p>Further, the Departments/Institutes must adhere/honour the decision of the Admission Monitoring and Grievances Redressal Committee. In case of any difference in opinion/confusion, the matter should be brought into the notice of the Chairman of the said Committee with a copy to the university authority.</p> <p>This is issued with the approval of the Vice Chancellor.</p> <p style="text-align: right;">Sd/- Registrar</p> <p>Copy to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PS to Vice Chancellor for information. 2. PA to Pro Vice Chancellor for information. 3. All Deans of Faculties for information. 4. Prof. S.K. Chaudhuri, Chairman, Admission Monitoring & Grievances Redressal Committee for information. 5. All Heads / Directors of the Departments for information and necessary action. 6. Joint Registrar (Academic) for information. 7. Joint Director (CC) for information with a request to upload the same in the university website. 8. Office copy. <p style="text-align: right;"> (Dr. N.T. Rikam) Registrar</p>
--	--

7.4. कार्य निष्पादन हेतु नियम, विनियम, निर्देश, मैनुअल एवं अभिलेख [धारा 4(1)(b)(v)]

7.4.1. रिकॉर्ड/मैनुअल/निर्देश का शीर्षक एवं प्रकृति

- a) राजीव गांधी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006
- b) विश्वविद्यालय के परिनियम (Statutes)
- c) विश्वविद्यालय के अध्यादेश (Ordinances)

- i. न्यायालय (The Court)
- ii. विभागों एवं अध्ययन केंद्रों/संस्थानों का आवंटन
- iii. विभागीय परिषद की स्थापना
- iv. अधिष्ठाता समिति (Deans' Committee)
- v. संकायों के अधिष्ठाता (Deans of Faculties)
- vi. कॉलेज विकास परिषद निदेशक के कार्य एवं शक्तियाँ
- vii. अध्ययन संकायों की स्थापना
- viii. विभागों की स्थापना
- ix. विभागाध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियाँ
- x. विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों में विद्यार्थियों का प्रवेश, नामांकन, पंजीकरण, स्थानांतरण एवं माइग्रेसन
- xi. बैचलर इन एजुकेशन (B.Ed.) कार्यक्रम
- xii. स्नातक अध्ययन बोर्ड (BUGS)
- xiii. स्नातकोत्तर अध्ययन बोर्ड (BPGS)
- xiv. स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश एवं परीक्षा (CBCS प्रणाली के अनुसार)

- xv. स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश एवं परीक्षा (CBCS प्रणाली के अनुसार)
- xvi. परीक्षाओं का संचालन
- xvii. प्रश्नपत्र निर्माण, परीक्षक, मॉडरेशन, केंद्रीय मूल्यांकन एवं परिणाम प्रकाशन
- xviii. अनुशासनात्मक नियंत्रण / दंड / अनुशासनहीनता / अनुचित साधनों का प्रयोग एवं परीक्षा में प्रतिबंधित गतिविधियाँ
- xix. विश्वविद्यालय शिक्षकों की वर्गीकरण, योग्यता, वेतनमान एवं सेवा शर्तें
- xx. विश्वविद्यालय शिक्षकों के अवकाश नियम
- xxi. शिक्षण कर्मचारियों की सेवा शर्तें
- xxii. मास्टर ऑफ फिलॉसफी (M.Phil.) कार्यक्रम
- xxiii. पीएच.डी. अध्यादेश, 2020
- xxiv. परीक्षा नियंत्रक (CoE) की सेवा शर्तें
- xxv. 5 वर्षीय एकीकृत विधि पाठ्यक्रम (B.A. LLB सहित)
- xxvi. छात्र कल्याण अधिष्ठाता के कार्य एवं शक्तियाँ
- xxvii. महाविद्यालयों एवं संस्थानों की संबद्धता

विश्वविद्यालय में उपलब्ध उपरोक्त नियम, विनियम, निर्देश, मैनुअल एवं अभिलेख विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं –

<https://rgu.ac.in>

<https://rgu.ac.in/uploads/act-ordinance/files/17579214680oMllcheajK.pdf>

[https://rgu.ac.in/uploads/act-](https://rgu.ac.in/uploads/act-ordinance/files/17579214682ePPZcG3Xan.pdf)

[ordinance/files/17579214682ePPZcG3Xan.pdf](https://rgu.ac.in/uploads/act-ordinance/files/17579214682ePPZcG3Xan.pdf)

<https://rgu.ac.in/acts-ordinances>

7.4.2. नियम, विनियम, निर्देश, मैनुअल एवं अभिलेखों की सूची

विश्वविद्यालय में उपलब्ध कार्य निष्पादन हेतु नियम, विनियम, निर्देश, मैनुअल एवं अभिलेखों का विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है –

<https://new.rgu.ac.in/>

<https://rgu.ac.in/uploads/act-ordinance/files/17579214680oMllcheajK.pdf>

[https://rgu.ac.in/uploads/act-](https://rgu.ac.in/uploads/act-ordinance/files/17579214682ePPZcG3Xan.pdf)

[ordinance/files/17579214682ePPZcG3Xan.pdf](https://rgu.ac.in/uploads/act-ordinance/files/17579214682ePPZcG3Xan.pdf)

<https://rgu.ac.in/acts-ordinances>

7.4.3. अधिनियम/नियम, मैनुअल आदि

कार्य निष्पादन हेतु उपलब्ध नियम, विनियम, निर्देश, मैनुअल एवं अभिलेखों का विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है –

<https://rgu.ac.in>

<https://rgu.ac.in/uploads/act-ordinance/files/17579214680oMllcheajK.pdf>

[https://rgu.ac.in/uploads/act-](https://rgu.ac.in/uploads/act-ordinance/files/17579214682ePPZcG3Xan.pdf)

[ordinance/files/17579214682ePPZcG3Xan.pdf](https://rgu.ac.in/uploads/act-ordinance/files/17579214682ePPZcG3Xan.pdf)

<https://rgu.ac.in/acts-ordinances>

<https://rgu.ac.in/news>

<https://rgu.ac.in/events/>

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) / शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education) / डीओपीटी (DoPT) द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालयों हेतु जारी दिशानिर्देश, विनियम एवं अधिसूचनाएँ भी उपरोक्त लिंक पर उपलब्ध हैं।

वित्त एवं क्रय (Finance/Purchase) संबंधी मामलों में विश्वविद्यालय भारत सरकार के नियमों का पालन करता है।

7.4.4. स्थानांतरण नीति एवं स्थानांतरण आदेश

राजीव गांधी विश्वविद्यालय भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय स्वायत्त निकाय (Central Autonomous Body) है, जिसका एक ही परिसर (single campus) है तथा इसका कोई भी constituent/affiliated college नहीं है। विश्वविद्यालय में एक स्वायत्त निकाय से दूसरे स्वायत्त निकाय में स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, विश्वविद्यालय के भीतर प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों के आंतरिक स्थानांतरण समय-समय पर किए जाते हैं।

विश्वविद्यालय के प्रचलित नियमों के अनुसार गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के अंतर-शाखा (Inter-Branch) एवं अंतर-विभागीय (Inter-Department) स्थानांतरण सामान्यतः 3 (तीन) से 5 (पाँच) वर्षों के अंतराल पर दक्षता एवं प्रशासनिक सुचारु संचालन के उद्देश्य से किए जाते हैं, जिसके लिए संबंधित आदेश जारी किए जाते हैं। अतः राजीव गांधी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का बाह्य स्थानांतरण अन्य संस्थानों में नहीं किया जाता है; केवल आंतरिक स्थानांतरण समय-समय पर किए जाते हैं।

विश्वविद्यालय एक एकल इकाई (single unit) है और वर्तमान में इसके कोई ऑफ-कैंपस नहीं हैं। विभिन्न अनुभागों में कार्यरत सभी प्रशासनिक कर्मचारी कुलपति (Vice-Chancellor) के अधिकार क्षेत्र में कार्य करते हैं। सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority) प्रशासनिक एवं शैक्षणिक अधिकारियों की समितियाँ गठित करता है, जिनकी अनुशंसा एवं स्वीकृति के आधार पर कर्मचारियों को उनके वर्तमान कर्तव्यों के अतिरिक्त अतिरिक्त प्रभार (additional charge) सौंपने संबंधी निर्णय लिए जाते हैं।

स्थानांतरण की स्थिति में संबंधित कर्मचारी को कार्यभार (charge) विधिवत रूप से हस्तांतरित करना होता है तथा नए अनुभाग का कार्यभार ग्रहण करना होता है। यदि किसी कर्मचारी को अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है, तो उसे अपने नियमित कर्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त दायित्वों का भी निर्वहन करना होता है।

स्थानांतरण नीति का मसौदा (draft transfer policy), कार्यकारी परिषद (Executive Council) द्वारा अनुमोदन के अधीन, निम्नलिखित पर उपलब्ध है –

<https://rgu.ac.in/uploads/important-documents/17579248325rZTX32sAGD.pdf>

Some of the recent transfer orders (en-mass) available at:

<https://rgu.ac.in/info/employee-details>
<https://rgu.ac.in/uploads/info-report-files/employee-details/1760093551268e8e56f57aab.pdf>

7.5. प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियाँ [धारा 4(1)(b)(vi)]

7.5.1. दस्तावेजों की श्रेणियाँ

राजीव गांधी विश्वविद्यालय (RGU) के प्रत्येक अनुभाग/विभाग अपने-अपने कार्य एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा सौंपे गए दायित्वों के अनुसार विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों का रखरखाव करता है, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश तथा भारत सरकार के संबंधित नियमों के अनुसार होते हैं। दस्तावेजों को विभाग/शाखा के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- i. कुलपति सचिवालय (Vice Chancellor's Secretariat) के दस्तावेज
- ii. कुलसचिव कार्यालय (Registrar's Office) के दस्तावेज
- iii. वित्त अधिकारी कार्यालय (Finance Officer's Office) के दस्तावेज
- iv. परीक्षा नियंत्रक कार्यालय (CoE's Office) के दस्तावेज
- v. अधिष्ठाता कार्यालय (Dean's Office) के दस्तावेज
- vi. विभागाध्यक्ष/निदेशक (HoD's/Director's Office) के दस्तावेज
- vii. स्थापना शाखा (Establishment Office) के दस्तावेज
- viii. शैक्षणिक शाखा (Academic Branch) के दस्तावेज
- ix. वित्तीय शाखा (Financial Branch) के दस्तावेज
- x. वेतन शाखा (Payroll Documents)
- xi. परीक्षा शाखा (Examination Branch) के दस्तावेज
- xii. पुस्तकालय (Library) के दस्तावेज
- xiii. इंजीनियरिंग शाखा (Engineering Branch) के दस्तावेज
- xiv. एस्टेट शाखा (Estate Branch) के दस्तावेज
- xv. क्रय/भंडार शाखा (Purchase/Store Branch) के दस्तावेज
- xvi. विभिन्न समितियों/बैठकों के दस्तावेज
- xvii. पंजीकरण शाखा (Registration Branch) के दस्तावेज

विश्वविद्यालय द्वारा स्थापना एवं प्रशासनिक अभिलेख, अनुशासनात्मक कार्यवाही, सेवा पुस्तिका, वेतन रजिस्टर, गोपनीय रिपोर्ट, उपभोग्य एवं अनुपभोग्य सामग्री रजिस्टर, आगमन-प्रस्थान रजिस्टर, उपस्थिति रजिस्टर, छात्रावास/अतिथि गृह अधिभोग रजिस्टर आदि का रखरखाव भारत सरकार के नियमों के अनुसार किया जाता है। इन दस्तावेजों के आधार पर विश्वविद्यालय वार्षिक रिपोर्ट एवं वित्तीय रिपोर्ट तैयार करता है, जिन्हें संसद में प्रस्तुत किया जाता है।

प्रमुख दस्तावेजों की सूची निम्नलिखित है:

- i. अधिनियम – RGU Act, 2006 एवं Statutes
- ii. अध्यादेश – भारत सरकार द्वारा अनुमोदित एवं राजपत्र में प्रकाशित अध्यादेश (<https://rgu.ac.in/acts-ordinances>)
- iii. भूमि संबंधी दस्तावेज
- iv. विभिन्न नियामक प्राधिकरणों (UGC, AICTE, शिक्षा मंत्रालय, BCI आदि) से प्राप्त अनुमोदन पत्र
- v. शिक्षा मंत्रालय एवं अन्य एजेंसियों द्वारा स्वीकृत/जारी अनुदान आदेश
- vi. वैधानिक निकायों (Executive Council, Academic Council, Finance Committee, Research Board आदि) की बैठक कार्यसूची एवं कार्यवृत्त
- vii. अन्य नियामक बोर्डों (BPGS, BUGS आदि) की बैठक कार्यवृत्त
- viii. अन्य बैठकों के कार्यवृत्त
- ix. स्टॉक एवं संपत्ति रजिस्टर
- x. वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट
- xi. अनुबंध, समझौते एवं MoUs
- xii. विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम

xiii. विभागीय समय-सारणी (Time Tables)

xiv. RTI संबंधी अभिलेख

xv. कर्मचारियों का विवरण एवं सेवा रिकॉर्ड

उपरोक्त सभी दस्तावेज विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट <https://rgu.ac.in> पर उपलब्ध हैं।

7.5.2. दस्तावेजों का संरक्षक / उत्तरदायी अधिकारी

राजीव गांधी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 के अनुसार, कुलसचिव (Registrar) अपने कार्यालय में रखे गए सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों के संरक्षक (Custodian) होते हैं। शैक्षणिक/प्रवेश/अनुसंधान आदि से संबंधित नियमित दस्तावेजों के लिए संबंधित विभागों एवं केंद्रों के विभागाध्यक्ष (HoDs) / निदेशक (Directors) अपने-अपने विभागों के अभिलेखों के संरक्षक होते हैं। प्रशासनिक कार्यों के संबंध में, अनुभाग अधिकारी (Section Officers) एवं उससे उच्च पदाधिकारी अपने-अपने अनुभागों/शाखाओं में रखे गए दस्तावेजों एवं फाइलों के संरक्षक होते हैं, जैसा भी लागू हो।

कुलसचिव, वित्त कार्यालय (Finance Office), परीक्षा नियंत्रक (Controller of Examinations) तथा संबंधित विभागाध्यक्ष (HoDs) विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियम एवं अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुसार अपने-अपने क्षेत्राधिकार में दस्तावेजों के संरक्षक होते हैं।

विश्वविद्यालय के परिनियम एवं अध्यादेश विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं –
<https://rgu.ac.in/uploads/act-ordinance/files/17579214680oMlIcheajK.pdf>
<https://rgu.ac.in/uploads/act-ordinance/files/17579214682ePPZcG3Xan.pdf>
and <https://rgu.ac.in/acts-ordinances>

7.6. बोर्ड, परिषद, समितियाँ एवं अन्य निकाय (Boards, Councils, Committees and Other Bodies constituted as part of the Public Authority) [धारा 4(1)(b)(viii)]

7.6.1. बोर्ड, परिषद, समिति आदि के नाम

निम्नलिखित विश्वविद्यालय के प्राधिकरण (Authorities) होंगे:

1. विश्वविद्यालय न्यायालय (Court)
2. कार्यकारी परिषद (Executive Council)
3. शैक्षणिक परिषद (Academic Council)
4. कॉलेज विकास परिषद (College Development Council)
5. अध्ययन बोर्ड (Board of Studies)
6. वित्त समिति (Finance Committee)
7. ऐसे अन्य प्राधिकरण जिन्हें परिनियमों (Statutes) द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकरण घोषित किया जाए

विश्वविद्यालय न्यायालय (The Court)

न्यायालय की संरचना तथा सदस्यों का कार्यकाल परिनियमों द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जिसमें परिनियमों द्वारा निर्धारित संख्या में सदस्य विश्वविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी एवं विद्यार्थियों में से निर्वाचित होंगे।

अधिनियम के अधीन, विश्वविद्यालय न्यायालय के निम्नलिखित कार्य एवं शक्तियाँ होंगी:

- समय-समय पर विश्वविद्यालय की नीतियों एवं कार्यक्रमों की समीक्षा करना तथा सुधार एवं विकास हेतु सुझाव देना।
- विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखा तथा लेखा परीक्षण रिपोर्ट पर विचार करना एवं अनुमोदन करना।
- विज़िटर (Visitor) द्वारा संदर्भित विषयों पर सलाह देना।
- परिनियमों द्वारा निर्धारित अन्य कार्यों का निष्पादन करना।

कार्यकारी परिषद (Executive Council)

कार्यकारी परिषद विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यकारी निकाय (principal executive body) होगी। इसकी संरचना, सदस्यों का कार्यकाल तथा शक्तियाँ एवं कार्य परिनियमों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, जिसमें परिनियमों द्वारा निर्धारित सदस्य विश्वविद्यालय न्यायालय के निर्वाचित सदस्यों में से होंगे।

शैक्षणिक परिषद (Academic Council)

शैक्षणिक परिषद विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी, जो अधिनियम, परिनियम एवं अध्यादेशों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का समन्वय एवं सामान्य पर्यवेक्षण करेगी। इसकी संरचना, कार्यकाल तथा शक्तियाँ परिनियमों द्वारा निर्धारित की जाएंगी, जिसमें विश्वविद्यालय न्यायालय के निर्वाचित शिक्षक सदस्य सम्मिलित होंगे।

कॉलेज विकास परिषद (College Development Council)

यह परिषद विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय की सुविधाओं/अधिकारों में सम्मिलित करने हेतु उत्तरदायी होगी। इसकी संरचना, कार्यकाल एवं शक्तियाँ परिनियमों द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

अध्ययन बोर्ड (Board of Studies)

अध्ययन बोर्ड की संरचना, शक्तियाँ एवं कार्य परिनियमों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

वित्त समिति (Finance Committee)

वित्त समिति की संरचना, शक्तियाँ एवं कार्य परिनियमों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

अन्य प्राधिकरण (Other Authorities)

वे अन्य प्राधिकरण जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकरण घोषित किया जाएगा, उनकी संरचना, शक्तियाँ एवं कार्य भी परिनियमों द्वारा निर्धारित होंगे।

विश्वविद्यालय के विभिन्न वैधानिक प्राधिकरणों के अधिकार एवं कर्तव्य राजीव गांधी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006, परिनियम एवं अध्यादेशों में परिभाषित एवं निर्दिष्ट हैं, जो निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं –

<https://rgu.ac.in/uploads/act-ordinance/files/17579214680oMlIcheajK.pdf>
<https://rgu.ac.in/uploads/act-ordinance/files/17579214682ePPZcG3Xan.pdf>
<https://rgu.ac.in/statutory-officers>
<https://rgu.ac.in/executive-council/>
<https://rgu.ac.in/academic-council/>
<https://rgu.ac.in/finance-committee/>
<https://rgu.ac.in/college-development-council/>
<https://rgu.ac.in/university-court/>
<https://rgu.ac.in/advisory-committee>

7.6.2. संरचना

विश्वविद्यालय के विभिन्न वैधानिक निकायों एवं सलाहकार समितियों की संरचना एवं गठन राजीव गांधी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006, परिनियम (Statutes) तथा अध्यादेशों (Ordinances) के अंतर्गत परिभाषित एवं निर्दिष्ट है, जो निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं –

<https://rgu.ac.in/uploads/act-ordinance/files/17579214680oMlIcheajK.pdf>
<https://rgu.ac.in/uploads/act-ordinance/files/17579214682ePPZcG3Xan.pdf>
<https://rgu.ac.in/statutory-officers>
<https://rgu.ac.in/executive-council/>
<https://rgu.ac.in/academic-council/>
<https://rgu.ac.in/finance-committee/>
<https://rgu.ac.in/college-development-council/>
<https://rgu.ac.in/university-court/>
<https://rgu.ac.in/advisory-committee>

7.6.3. गठन की तिथि

विश्वविद्यालय के विभिन्न वैधानिक निकायों एवं सलाहकार समितियों के गठन की तिथि राजीव गांधी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006, परिनियम (Statutes) तथा अध्यादेशों (Ordinances) के अंतर्गत परिभाषित एवं निर्दिष्ट है, जो निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं –

<https://rgu.ac.in/uploads/act-ordinance/files/17579214680oMlIcheajK.pdf>
<https://rgu.ac.in/uploads/act-ordinance/files/17579214682ePPZcG3Xan.pdf>
<https://rgu.ac.in/statutory-officers>
<https://rgu.ac.in/executive-council/>
<https://rgu.ac.in/academic-council/>

<https://rgu.ac.in/finance-committee/>
<https://rgu.ac.in/college-development-council/>
<https://rgu.ac.in/university-court/>
<https://rgu.ac.in/advisory-committee>

7.6.4. कार्यकाल / अवधि

विश्वविद्यालय के विभिन्न वैधानिक निकायों एवं सलाहकार समितियों का कार्यकाल/अवधि राजीव गांधी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006, परिनियम (Statutes) तथा अध्यादेशों (Ordinances) के अंतर्गत परिभाषित एवं निर्दिष्ट है, जो निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं –

<https://rgu.ac.in/uploads/act-ordinance/files/17579214680oMllcheajK.pdf>
<https://rgu.ac.in/uploads/act-ordinance/files/17579214682ePPZcG3Xan.pdf>
<https://rgu.ac.in/statutory-officers>
<https://rgu.ac.in/executive-council/>
<https://rgu.ac.in/academic-council/>
<https://rgu.ac.in/finance-committee/>
<https://rgu.ac.in/college-development-council/>
<https://rgu.ac.in/university-court/>
<https://rgu.ac.in/advisory-committee>

7.6.5. शक्तियाँ एवं कार्य

विश्वविद्यालय के विभिन्न वैधानिक निकायों एवं सलाहकार समितियों की शक्तियाँ एवं कार्य राजीव गांधी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006, परिनियम (Statutes) तथा अध्यादेशों (Ordinances) के अंतर्गत परिभाषित एवं निर्दिष्ट हैं, जो निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं –

<https://rgu.ac.in/uploads/act-ordinance/files/17579214680oMllcheajK.pdf>
<https://rgu.ac.in/uploads/act-ordinance/files/17579214682ePPZcG3Xan.pdf>
<https://rgu.ac.in/statutory-officers>
<https://rgu.ac.in/executive-council/>
<https://rgu.ac.in/academic-council/>
<https://rgu.ac.in/finance-committee/>
<https://rgu.ac.in/college-development-council/>
<https://rgu.ac.in/university-court/>
<https://rgu.ac.in/advisory-committee>

7.6.6. क्या उनकी बैठकें सार्वजनिक होती हैं?

वैधानिक निकायों एवं सलाहकार समितियों की बैठकें (Meetings of Statutory Bodies and Advisory Committees) विश्वविद्यालय के वैधानिक निकायों एवं सलाहकार समितियों की बैठकें केवल उनके संबंधित सदस्यों के लिए ही

होती हैं। राजीव गांधी विश्वविद्यालय में केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, विश्वविद्यालय के परिनियम (**Statutes**), अध्यादेश (**Ordinances**) एवं नियमों के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न वैधानिक निकायों में समाज के विभिन्न वर्गों के सार्वजनिक प्रतिनिधियों को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। वैधानिक निकायों की सभी बैठकों के कार्यवृत्त (**Minutes of Meetings**) विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं, जिन्हें सभी देख सकते हैं। ये निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं –

<https://rgu.ac.in/executive-council/>

<https://rgu.ac.in/academic-council/>

<https://rgu.ac.in/finance-committee/>

जनता के सदस्यों के साथ परामर्श अथवा प्रतिनिधित्व की व्यवस्था (**Arrangement of Consultation with or Representation by Members of Public**)

a. विश्वविद्यालय की अंग्रेजी वेबसाइट (<https://rgu.ac.in/>) एवं हिंदी वेबसाइट (<https://rgu.ac.in/?lang=hi>) नीति निर्माण एवं उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के साथ संचार का माध्यम है।

b. विश्वविद्यालय ने राजीव गांधी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006, परिनियम (**Statutes**), अध्यादेश (**Ordinances**) एवं भारत सरकार के नियमों के अनुसार विभिन्न वैधानिक निकायों जैसे विश्वविद्यालय न्यायालय (**Court**), कार्यकारी परिषद (**EC**), शैक्षणिक परिषद (**AC**) एवं वित्त समिति (**FC**) में समाज के विभिन्न वर्गों के सार्वजनिक प्रतिनिधियों को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया है। ये प्रतिनिधि नीति निर्माण एवं नीति कार्यान्वयन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। विश्वविद्यालय के न्यायालय/ईसी/एसी/एफसी में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं अन्य संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं।

c. यूजीसी (**UGC**) द्वारा **XI** योजना के अंतर्गत लिए गए नीति निर्णय के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (**IQAC**) की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य गुणवत्ता संस्कृति को संस्थागत स्तर पर सुदृढ़ करना है। **IQAC** का कार्य योजना निर्माण, मार्गदर्शन एवं गुणवत्ता आश्वासन तथा गुणवत्ता संवर्धन गतिविधियों को सुनिश्चित करना है। **IQAC** की संरचना में कुलपति (**Chairman**), आठ वरिष्ठ संकाय सदस्य, एक प्रशासनिक अधिकारी तथा तीन बाह्य विशेषज्ञ शामिल होते हैं। इसमें जनता के प्रतिनिधित्व के रूप में बाह्य विशेषज्ञ, छात्र एवं पूर्व छात्र (**Alumni**) शामिल होते हैं (<https://rgu.ac.in/cell/internal-quality-assurance-cell-iqac>)। **IQAC** पाठ्यक्रम, शिक्षण-अधिगम, मूल्यांकन प्रक्रिया, अवसंरचना, छात्र सहायता एवं प्रशासनिक प्रणाली में गुणवत्ता सुधार हेतु कार्य करता है तथा विभिन्न हितधारकों से फीडबैक लेकर नीति प्रस्ताव तैयार करता है।

d. विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति (**Internal Complaints Committee**), संस्थागत आचार समिति (**Institutional Ethics Committee**) एवं पशु आचार समिति (**Animal Ethics Committee**) में भी विभिन्न सामाजिक वर्गों के बाह्य प्रतिनिधि शामिल होते हैं (<https://rgu.ac.in/cell/internal-complaints-committee>)।

e. विश्वविद्यालय का **NSS** सेल विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से जागरूकता शिविर, सेमिनार/कार्यशालाएँ तथा रक्तदान शिविर आदि का आयोजन करता है।

f. उपरोक्त वैधानिक निकायों (**Court, EC, AC, FC**) की बैठकों के कार्यवृत्त विश्वविद्यालय की वेबसाइट <https://rgu.ac.in> पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। विभिन्न हितधारकों से समय-समय पर फीडबैक प्राप्त कर प्रणाली में सुधार किया जाता है। विश्वविद्यालय की नवीनतम वार्षिक एवं वित्तीय रिपोर्ट भी उपलब्ध है।

<https://rgu.ac.in/executive-council/>
<https://rgu.ac.in/academic-council/>
<https://rgu.ac.in/finance-committee/>

7.6.7. क्या बैठक के कार्यवृत्त (Minutes of the Meetings) सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं?

हाँ, वैधानिक निकायों की बैठकों के कार्यवृत्त (Minutes of Statutory Body Meetings) जनता के लिए सुलभ हैं तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं –

<https://rgu.ac.in/executive-council/>
<https://rgu.ac.in/academic-council/>
<https://rgu.ac.in/finance-committee/>

7.6.8. जहाँ वैधानिक निकायों की बैठकों के कार्यवृत्त सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं

सूचना का व्यापक प्रसार एवं जनता के लिए सुलभ स्वरूप में उपलब्धता [धारा 4(3)] – प्रभावी संचार माध्यम राजीव गांधी विश्वविद्यालय अपने सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं के प्रसार हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट को सबसे प्रभावी संचार माध्यम के रूप में उपयोग करता है तथा इसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है: <https://rgu.ac.in> विश्वविद्यालय अपनी वेबसाइट पर मैनूअल में उल्लिखित विभिन्न दस्तावेज उपलब्ध कराता है, जिनकी सॉफ्ट कॉपी सभी हितधारकों के लिए निःशुल्क सुलभ है। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण सूचनाओं का प्रसार सोशल मीडिया, प्रिंट/ऑनलाइन मीडिया में विज्ञापन, नोटिस बोर्ड, ई-न्यूज़लेटर, एसएमएस, व्हाट्सएप, फेसबुक एवं ईमेल के माध्यम से भी करता है ताकि सभी हितधारकों तक सूचना प्रभावी रूप से पहुँच सके।

वैधानिक निकायों की बैठकों के कार्यवृत्त (Minutes of Statutory Body Meetings) भी सार्वजनिक रूप से विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, जो निम्नलिखित लिंक पर देखे जा सकते हैं –

<https://rgu.ac.in/executive-council/>
<https://rgu.ac.in/academic-council/>
<https://rgu.ac.in/finance-committee/>

7.7. अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका [धारा 4(1)(b)(ix)]

7.7.1. नाम एवं पदनाम

अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम, पदनाम एवं संपर्क विवरण संबंधी जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है:

<https://rgu.ac.in/statutory-officers>
<https://rgu.ac.in/officers>
<https://rgu.ac.in/cell/right-to-information-cell>
<https://rgu.ac.in/student-welfare>
<https://rgu.ac.in/info/employee-details>
<https://rgu.ac.in/uploads/notices/Admission%20Bulletin%202026-2027.pdf>

7.7.2. टेलीफोन, फैक्स एवं ईमेल आईडी

अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम, पदनाम तथा उनके संपर्क विवरण (टेलीफोन, फैक्स एवं ईमेल आईडी सहित) संबंधी जानकारी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है:

<https://rgu.ac.in/statutory-officers>

<https://rgu.ac.in/officers>

<https://rgu.ac.in/cell/right-to-information-cell>

<https://rgu.ac.in/student-welfare>

<https://rgu.ac.in/info/employee-details>

<https://rgu.ac.in/uploads/notices/Admission%20Bulletin%202026-2027.pdf>

7.8. अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक एवं मुआवजा प्रणाली [धारा 4(1)(b)(x)]

7.8.1. कर्मचारियों की सूची (मासिक सकल पारिश्रमिक सहित)

अधिकारियों सहित (शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक) कर्मचारियों की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है:

<https://rgu.ac.in/info/employee-details>

7.8.2. विनियमों में निर्धारित मुआवजा प्रणाली

जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है:

<https://rgu.ac.in/info/employee-details>

https://www.ugc.ac.in/pdfnews/7077481_Revision-of-Pay-of-teachers.pdf

https://www.ugc.ac.in/pdfnews/0854098_pay-revision-of-non-teaching-employees.pdf

7.9. सार्वजनिक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विवरण [धारा 4(1)(b)(xvi)]

7.9.1. जन सूचना अधिकारी (PIO), सहायक जन सूचना अधिकारी (APIO) एवं अपीलीय प्राधिकारी (Appellate Authority) के नाम एवं पदनाम

1. प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (First Appellate Authority) – डॉ. एन. टी. रिक्म, कुलसचिव (Registrar)

2. नोडल अधिकारी (Nodal Officer) – डॉ. एन. टी. जोसे, संयुक्त कुलसचिव (Joint Registrar)

3. केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (CPIO) – श्रीमती ओरिएंटल टैग्लू, सहायक कुलसचिव (Assistant Registrar)

विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है: <https://rgu.ac.in/right-to-information-cell/>

7.9.2. प्रत्येक नामित अधिकारी का पता, टेलीफोन नंबर एवं ईमेल आईडी

विवरण	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी	नोडल अधिकारी	जन सूचना अधिकारी (CPIO)	सहायक जन सूचना अधिकारी (APIO)
नाम	डॉ. नबाम तादर रिकम	डॉ. नानी तमांग जोसे	श्रीमती ओरिएंटल टैगू	श्रीमती गुंपी नुसो
पदनाम	कुलसचिव (Registrar)	संयुक्त कुलसचिव (वित्त)	सहायक कुलसचिव (परीक्षा)	हिंदी अधिकारी
पता	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रोना हिल्स, दोईमुख – 791112, जिला-पापुम पारे, अरुणाचल प्रदेश, भारत			
टेलीफोन नंबर	+91 0360-2277253 / +91 9436895299	+91 98626 32729	+91 0360-2278546 / +91 8974147981	+91 0360-2277569
ईमेल आईडी	registrar@rgu.ac.in	nani.jose@rgu.ac.in	rticell@rgu.ac.in	gumpi.nguso@rgu.ac.in

7.10. उन कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित/की गई है (धारा 4(2))

7.10.1. जिन कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई (i) लघु दंड या प्रमुख दंड कार्यवाही के लिए लंबित है, उनकी संख्या

01 (एक)। मामला न्यायाधीन (sub judge) है और इसे सार्वजनिक डोमेन में प्रकट नहीं किया जा सकता।

7.10.2. लघु दंड या प्रमुख दंड कार्यवाही (i) के लिए अंतिम रूप दिए गए (finalised) कर्मचारियों की संख्या शून्य। मामला न्यायाधीन (sub judge) है और इसे सार्वजनिक डोमेन में प्रकट नहीं किया जा सकता।

7.11. सूचना का अधिकार (धारा 26) के अंतर्गत आरटीआई के प्रति समझ बढ़ाने हेतु कार्यक्रम

7.11.1. शैक्षिक कार्यक्रम

समय-समय पर अधिकारियों एवं हितधारकों को आरटीआई के संबंध में समझ विकसित करने हेतु प्रशिक्षण/कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं। संबंधित जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है:

<https://rgu.ac.in/right-to-information-cell/>

7.11.2. इन कार्यक्रमों में सार्वजनिक प्राधिकरण की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के प्रयास

समय-समय पर अधिसूचना (notification) के माध्यम से अधिकारियों एवं हितधारकों को आरटीआई के संबंध में समझ विकसित करने हेतु प्रशिक्षण/कार्यशालाएँ आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

संबंधित जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है:

<https://rgu.ac.in/right-to-information-cell/>

7.11.3. CPIO/APIO का प्रशिक्षण

समय-समय पर अधिसूचना (**notification**) के माध्यम से अधिकारियों एवं हितधारकों को आरटीआई के संबंध में समझ विकसित करने हेतु प्रशिक्षण/कार्यशालाएँ आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

संबंधित जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है:

<https://rgu.ac.in/right-to-information-cell/>

7.11.4. संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा आरटीआई पर दिशानिर्देशों का अद्यतन एवं प्रकाशन
संबंधित जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है: <https://rgu.ac.in/right-to-information-cell/>

7.12. स्थानांतरण नीति एवं स्थानांतरण आदेश [एफ. सं. 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.4.2013]

7.12.1. स्थानांतरण नीति एवं स्थानांतरण आदेश [एफ. सं. 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.4.2013]

राजीव गांधी विश्वविद्यालय, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक केंद्रीय स्वायत्त निकाय है, जिसका एक ही परिसर है तथा इसका कोई संबद्ध (**constituent**) महाविद्यालय नहीं है। अतः एक स्वायत्त निकाय से दूसरे स्वायत्त निकाय में स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के आंतरिक प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार समय-समय पर आंतरिक स्थानांतरण किए जाते हैं।

विश्वविद्यालय के प्रचलित नियमों के अनुसार गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों का अंतर-शाखा एवं अंतर-विभागीय स्थानांतरण सामान्यतः 3 (तीन) से 5 (पाँच) वर्षों के अंतराल पर दक्षता एवं सुचारु प्रशासनिक कार्य संचालन हेतु आदेश जारी कर किया जाता है। अतः राजीव गांधी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का अन्य संस्थानों में स्थानांतरण नहीं किया जाता है, किंतु आंतरिक स्थानांतरण समय-समय पर किए जाते हैं।

विश्वविद्यालय एक एकल इकाई है तथा वर्तमान में इसके कोई बाह्य परिसर (**off-campus**) नहीं हैं। विभिन्न अनुभागों के सभी प्रशासनिक कर्मचारी कुलपति के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में कार्य करते हैं। सक्षम प्राधिकारी (**Competent Authority**) द्वारा गठित समितियों की अनुशंसाओं के आधार पर कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपने अथवा अंतर-विभागीय स्थानांतरण संबंधी निर्णय लिए जाते हैं, जो विश्वविद्यालय अधिनियम, संविधियों, अध्यादेशों तथा नियमों के अनुरूप होते हैं।

स्थानांतरण की स्थिति में कर्मचारी को अपने संबंधित अनुभाग का प्रभार सौंपकर नवीन पदभार ग्रहण करना होता है। अतिरिक्त प्रभार की स्थिति में कर्मचारी अपने मूल कार्यों के साथ-साथ अतिरिक्त दायित्वों का भी निर्वहन करता है।

स्थानांतरण नीति का प्रारूप (ड्राफ्ट स्थानांतरण नीति):

<https://rgu.ac.in/uploads/important-documents/17579248325rZTX32sAGD.pdf>

कुछ हालिया सामूहिक (en-mass) स्थानांतरण आदेश निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:

<https://rgu.ac.in/info/employee-details>



राजीव गांधी विश्वविद्यालय
(केंद्रीय विश्वविद्यालय)
रोनो हिल्स, दोईमुख
अरुणाचल प्रदेश-७९१११२